



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052025-262809
CG-DL-E-01052025-262809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2025/वैशाख 10, 1947

No. 236]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2025/VAISAKHA 10, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2025

सं. 41/2025

सा.का.नि. 279(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप आईटीआर-3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप	आकवि-3	भारतीय आय-कर विवरणी (ऐसे व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ से आय है) (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए) (कृपया अनुदेश देखिए)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	5	-	2

भाग क- साधारण		साधारण														
व्यक्तिगत सूचना	(क1) पहला नाम	(क2) मध्य नाम	(क3) अन्तिम नाम	(क4) स्थायी लेखा सं0												
	(क5) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक सं.	(क6) परिसर/भवन/ग्राम का नाम		(क14) प्रास्थिति (चयनित करें)												
	(क7) सड़क/गली/डाक घर	(क8) जन्म तारीख/विरचना की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)		(क15) व्यवसाय प्रारंभ करने की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)												
	(क9) क्षेत्र/अवस्थान	(क16) आधार संख्यांक (12 अंक)														
	(क10) नगर/शहर/जिला	(क11) राज्य		(क12) पिन कोड/जिप कोड												
		(क13) देश														
	(क17) एस.टी.डी कोड सहित निवास/कार्यालय का फोन नं0/मोबाइल नं0 1							मोबाइल नं0 2								
	(क18) ई मेल पता-1 (स्वयं का)							ई मेल पता-2								
	क(19)	आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख [ड्रॉप डाऊन उपलब्ध कराए जाने हैं]														
(का)	1. 31 जुलाई 2. 31 अक्तूबर 3. 30 नवंबर															

फाइल करने की प्रारूपिता	(क19) (कii)	1. धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएँ) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- नियत तारीख के पश्चात् <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित विवरणी, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्	
		या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153ग	
	(ख)	वर्तमान निर्धारण वर्ष (नि.व.) के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का चयन करने (यदि लागू है) की रीति <input type="checkbox"/> 10झडक प्रस्तुत करके (जिनकी कारवार या वृत्ति से आय है) (उत्तर सेट क) <input type="checkbox"/> केवल आय की विवरणी में विकल्प का प्रयोग करके (प्ररूप 10झडक लागू नहीं होता है) (उत्तर सेट ख) (सेट क) क्या आपने नि.व. 2024-25 में प्ररूप 10झडक में धारा 115खकग(6) के अधीन नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग किया है ? (क) <input type="checkbox"/> हां (यदि 'हां' है, तो नि.व. 2024-25 के लिए प्ररूप 10झडक प्रस्तुत करने की तारीख और पावती सं0 दें) (क1) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प को जारी रखना चाहते हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि 'नहीं' है, तो नि.व. 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक नियत तारीख प्रस्तुत करने की तारीख और पावती सं0 दें) (ख) <input type="checkbox"/> नहीं, (कृपया तब भी 'नहीं' का चयन करें, यदि नि.व. 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक नियत तारीख के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है) (ख1) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि 'हां' है, तो नि.व. 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक प्रस्तुत करने की तारीख और पावती सं0 दें) (ग) <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता (नि.व. 2024-25 के लिए आय की विवरणी, प्ररूप 10झडक की अपेक्षा के बिना, आकवि1/आकवि2/आकवि3 में प्रस्तुत की गई थी) (ग1) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि 'हां' है, तो नि.व. 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक प्रस्तुत करने की तारीख और पावती सं0 दें) (सेट ख) क्या आप धारा 115खकग(6) के अधीन नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का चयन करना चाहते हैं ? (डिफाल्ट 'नहीं' है) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं टिप्पण--धारा 115खकग(6) के अधीन विकल्प का प्रयोग, धारा 139(1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व किया जाना चाहिए।		
	(ग)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत कर रहे हैं, अन्यथा आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है ? (सही का निशान लगाएँ) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें,— [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, किन्तु वह धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन उल्लिखित शर्तों में से एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी प्रस्तुत कर रहा है।]		
	(ग1)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)	
	(गii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है ?	(यदि हां है तो) रकम (रु)	
	(गiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)	

	(गiv)	क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाऊन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)								(चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	(घ)	यदि पुनरीक्षित/वृद्धिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख और रसीद सं0 प्रविष्ट करें (डीडी/एमएम/ वाईवाईवाईवाई)								/ /
	(ङ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई है, तो यूनिक नंबर/डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना आदेश की तारीख प्रस्तुत करें, या यदि धारा 92गघ के अधीन दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्यांकन करार की तारीख प्रस्तुत करें	(यूनिक नंबर)						/ /	
	(च)	भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(क) निवासी	<input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ष के दौरान 60 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, जिसने रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाजरानी पर कर्मीदल के सदस्य के रूप में, भारत छोड़ दिया है और पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या इससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे [धारा (6)(1)(ग) का स्पष्टीकरण 1(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और पूर्ववर्ष के दौरान भारत में दौरे पर आए हैं और क) पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे ; या ख) पूर्ववर्ष के दौरान 120 दिन या उससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे, यदि विदेशी खोतों से आय से भिन्न, कुल आय 15 लाख रु. से अधिक हो [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का स्पष्टीकरण 1(ख)]						
			(ख) निवासी, किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं।	<input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो भारत में दौरे पर आया है, जिसकी विदेशी खोतों से आय से भिन्न, कुल आय 15 लाख रु. से अधिक हो और भारत में पूर्ववर्ष के दौरान 120 दिन या उससे अधिक, लेकिन 182 दिन से कम रहा है। [धारा 6(6)(ग)] <input type="checkbox"/> आप भारत के ऐसे नागरिक हैं, जिसकी पूर्ववर्ष के दौरान, विदेशी खोतों से आय से भिन्न, कुल आय 15 लाख रु. से अधिक है और जो किसी अन्य देश या क्षेत्र में, अपने अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण, कर से प्रभार्य नहीं है [धारा 6(6)(ग)]						
			(ग) अनिवासी	<input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ष के दौरान अनिवासी थे (ii) कृपया पूर्ववर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें —						
				क्रम सं.	निवास की अधिकारिता	करदाता पहचान संख्या				
				1						
				2						
				(ii) यदि आप भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, कृपया विनिर्दिष्ट करें--						

				पूर्ववर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)	पूर्ववर्ष 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)										
		भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदू अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)		<input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी, किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी											
	(छ)	क्या आप धारा 115ज के अधीन प्रसुविधा का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू)			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं										
	(ज)	क्या आप धारा 5क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)													
	(झ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें													
		(1)	प्रतिनिधि निर्धारिती का नाम												
		(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रॉप डाऊन उपलब्ध कराए जाने हैं)												
		(3)	प्रतिनिधि निर्धारिती का पता												
		(4)	प्रतिनिधि निर्धारिती का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/आधार संख्या												
	(ज)	क्या आप पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? <input type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें।													
		कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके शेयर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध	निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)									
	(ट)	क्या आप फर्म में भागीदार है? <input type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -													
		फर्म का नाम		स्थायी लेखा सं.											
	(ठ)	क्या आप पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण शेयर धारित किए हैं? <input type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया साम्या शेयर के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।													
		कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर	वर्ष के दौरान अंतरित शेयर	अंत अतिशेष							
					शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयर की संख्या	अर्जन की लागत	शेयर की संख्या	विक्रय प्रतिफल
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(ड)	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में कोई स्थायी स्थापन है <input type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
	(ढ)	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस ई पी) है? (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं कृपया निम्नलिखित का विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में यथा निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संव्यवहार या संव्यवहारों से उद्भूत संदायों का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में यथा निर्दिष्ट भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या													
	(ण)	क्या निर्धारिती की किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई इकाई है और उसकी केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न होती है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
	(त)	क्या आप एफ.पी.आई हैं? हां/नहीं यदि हां, सेबी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करें													

	(थ)	विधिक इकाई पहचानकर्ता (एल ई आई) विवरण (यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या उससे अधिक है, तो अनिवार्य)			
		एल ई आई सं.		तारीख, जिस तक वैध है	
लेखा संपरीक्षा जानकारी	(क1)	क्या आप धारा 44क के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	(क2)	क्या निर्धारिती केवल 44कड/44ख/44खब/44कघ/44कच/44खक/44खख के अधीन आय की घोषणा कर रहा है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	(क2i)	यदि नहीं, तो क्या वर्ष के दौरान कारबार की कुल बिक्री/आवर्त/सकल प्राप्ति 1 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपए के बीच है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, आवर्त 1 करोड़ से अधिक नहीं है <input type="checkbox"/> नहीं, आवर्त 10 करोड़ के अधिक है			
	(क2ii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पूर्ववर्ष के दौरान बिक्री, आवर्त या सकल प्राप्तियों या पूंजीगत योगदान, ऋण आदि जैसे पूंजीगत लेखा के लिए प्राप्त राशि सहित सभी राशियों का सकल, नकद और गैर पाने वाले के खाते में चेक/डीडी के रूप में, उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	(क2iii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पूर्ववर्ष के दौरान व्यय के लिए राशि या पूंजीगत लेखा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि सहित किए गए सभी संदायों का सकल, नकद और गैर पाने वाले के खाते में चेक/डीडी के रूप में, उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	(ख)	क्या आप धारा 44क के अनुसार लेखा संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
		यदि (ख) पर हां चुना जाता है, निम्नलिखित शर्तों में से उस शर्त को वर्णित करें, जिसके आधार पर चुना गया है :			
	(खi)	विक्रय, आवर्त या कुल प्राप्तियां, धारा 44क के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें)			
	(खii)	निर्धारिती धारा 44कघ/धारा 44कच/धारा 44कड/धारा 44ख में आता है, परंतु उपधारणात्मक आधार पर आय प्रस्थापित नहीं कर रहा है (लागू धारा में <input checked="" type="checkbox"/> चिन्ह लगाएं) <input type="checkbox"/> 44कघ <input type="checkbox"/> 44कच <input type="checkbox"/> 44कड <input type="checkbox"/> 44ख			
	(खiii)	अन्य <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें)			
	(ग)	यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां है तो, निम्न सूचना प्रस्तुत करें			
		(1)	लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) / /		
	(2)	कर लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम			
	(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या			
	(4)	लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी/फर्म)			
	(5)	स्वत्वधारी/फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या			
	(6)	स्वत्वधारी/फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/आधार सं.			
	(7)	लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख			
	(8)	लेखा संपरीक्षा की अधिस्वीकृति सं.			
	(9)	यूडीआईएन			
	(घi)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	(घii)	यदि (घi) हां है, क्या खातों की संपरीक्षा धारा 93ड के अधीन की गई है	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	लेखा संपरीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)	पावती सं.
	(घiii)	यदि अन्य लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, तो वर्णित करें कि क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) (कृपया निर्देश देखें)			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		क्रम सं.	धारा कोड	तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)	पावती सं.
	(ड)	यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी है तो अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें।			

		अधिनियम और धारा	डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई	अधिनियम और धारा	डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई
कारबार की प्रकृति		कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलापों/उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा 44कघ, धारा 44कघक और 44कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न)			
	क्र०सं०	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	स्वत्वधारी का व्यापार नाम, यदि कोई है	वर्णन	
	(i)				
	(ii)				
	(iii)				

भाग क - तुलनपत्र		स्वत्वधारी कारबार या वृत्ति का 31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र (ऐसे मामले में, जहां नियमित बही लेखा रखा जाता है नीचे मदों को भरें, अन्यथा मद 6 भरें)			
निधियों का उपयोग	1	स्वत्वधारी की निधि			
	क	स्वत्वधारी की पूंजी			क
		आरक्षित और अधिशेष			
		i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खा	
		ii	पूंजी आरक्षिति	खाii	
		iii	कानूनी आरक्षिति	खाiii	
		iv	कोई अन्य आरक्षिति	खाiv	
		v	योग (खा + खाii + खाiii + खाiv)	खv	
	ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क + खv)			1ग
	2	ऋण निधियां			
	क	प्रतिभूत ऋण			
		i	विदेशी मुद्रा ऋण	क i	
		ii	रूपए में ऋण		
		अ	बैंकों से ऋण	iiअ	
		आ	अन्य से	iiआ	
		इ	योग (iiअ + iiआ)	iiइ	
		iii	योग (का + iiइ)	काiii	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अधीन निक्षेप राशि भी है)			
	i	बैंकों से ऋण			खा
		अन्य से			खाii
		योग (ख i + खii)			खiii
	ग	योग ऋण निधि (काiii + खiii)			2ग
	3	आस्थगित कर दायित्व			3
	4	अग्रिम			
	i	आय-कर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से			i
		अन्यों से			ii
		कुल अग्रिम (i + ii)			4iii
	5	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3 + 4iii)			5

निधियों का उपयोग

	1 स्थिर आस्तियां					
		क सकल ब्लाक	1क			
		ख अवक्षयण	1ख			
		ग शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग			
		घ चल रहा पूंजी कार्य	1घ			
		ङ योग (1ग + 1घ)			1ङ	
	2 विनिधान					
		क दीर्घकालिक विनिधान				
		i सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	का			
		ii सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	काii			
		iii योग (का + काii)			काiii	
		ख अल्पकालिक विनिधान				
		i साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खा			
		ii अधिमानी शेयर	खाii			
		iii डिवेचर	खाiii			
		iv योग (खा + खाii + खाiii)			खाiv	
		ग कुल विनिधान (काiii + खाiv)			2 ग	
	3 चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम					
		क चालू आस्तियां				
		i बीजक				
	अ भंडार, जिसके अधीन खपने वाली बैंकिंग सामग्री भी है	iअ				
	आ कच्ची सामग्री	iआ				
	इ कार्यरत भंडार	iइ				
	ई तैयार माल /व्यापार माल	iई				
	उ योग (iअ + iआ + iइ+ iई)			iउ		
	ii अन्यान्य ऋणी			काii		
	iii नकद और बैंक अतिशेष					
	अ हस्तगत नकदी	iiiअ				
	आ बैंक के पास अतिशेष	iiiआ				
	इ योग (iiiअ + iiiआ)			iiiइ		
	iv अन्य चालू आस्तियां			काiv		
	v कुल चालू आस्तियां (iउ + काii + iiiइ + काiv)			कv		
	ख ऋण और अग्रिम					
	i नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खा				
	ii निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खाii				
	iii राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खाiii				
	iv योग (खा + खाii + खाiii)			खाiv		
	ग चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कv + खाiv)			3ग		
	घ चालू दायित्व और उपबंध					
	i चालू दायित्व					

बहुदशा, जहाँ लेखा नहीं रखे जाते			अ	अन्यान्य लेनदार	iअ			
			आ	पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ			
			इ	उपर्युक्त पर उदभूत व्याज	iइ			
			ई	उदभूत व्याज किंतु जो ऋणों पर शोध्य नहीं हैं	iई			
			उ योग (iअ + iआ + iइ + iई)					iउ
		ii	उपबंध					
				अ	आय-कर के लिए उपबंध	iiअ		
				आ	छुट्टी भुनाने/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध	iiआ		
				इ	अन्य उपबंध	iiइ		
				ई	योग (iiअ + iiआ + iiइ)	iiई		
		iii	योग (iउ + iiई)				घiii	
		ड	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग - घiii)				3ड	
		4	क	अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क			
				ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख		
				ग	लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष	4ग		
	घ			योग (4क +4ख +4ग)				4घ
	5	निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड +4घ)				5		
		6	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है-- (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2024 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)					
		क	अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम			6क		
		ख	अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम			6ख		
ग		व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम			6ग			
घ		नकदी बकाया की रकम			6घ			

भाग क- विनिर्माण लेखा		वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है उस दशा में मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)						
	1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन						
	क	आरंभिक सूची						
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i				
		ii	चालू काम का आरंभिक स्टॉक	ii				
		iii	कुल (i + ii)				कiii	
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)					ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी					ग	
		घ	प्रत्यक्ष व्यय (घा + घii + घiii)					घ
			i	आवक वहन व्यय	i			
			ii	विद्युत आर ईंधन	ii			
iii		अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii					
ड.		कारखाने का उपरी व्यय						
I		अप्रत्यक्ष मजदूरी					i	
		ii	कारखाना किराया और दरें	ii				
		iii	कारखाना बीमा	iii				
		iv	कारखाना ईंधन और विद्युत	iv				
	v	कारखाने का साधारण व्यय	v					
	vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi					
	Vii	कुल (I+ii+iii+iv+v+vi)				ड.vii		
च	विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)					1च		
2	अंतिम स्टॉक							
	i	कच्ची सामग्री					2i	
		ii	चालू काम					2ii
		कुल (2i + 2ii)					2	
3	माल उत्पाद की लागू - व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)					3		

भाग -क व्यापारिक लेखा		वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 65 भरें, यथा लागू)						
व्यापारिक लेखा के लिए प्रत्यय	4	संक्रियाओं से राजस्व						
	क	कारबार का विक्रय/सकल प्राप्ति शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो						
		I	माल का विक्रय	i				
	ii	सेवाओं का विक्रय					ii	
		iii	अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)					
	क						iiiए	
		ख						iiiड
		ग	कुल (iiiक + iiiख)					iiic
	iv	कुल (i + ii + iii ग)					कiv	
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्ति					ख	

	ग	विक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर					
		i	संघ उत्पाद शुल्क	i			
		ii	सेवा कर	ii			
		iii	मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	iii			
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv			
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v			
		vi	समेकित माल सेवा कर (आईजीएसटी)	vi			
		vii	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii			
		viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii			
		ix	कुल (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii)				
घ	संक्रियाओं से कुल राजस्व (कiv + ख+गix)			4घ			
5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक			5			
6	व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5)			6			
व्यापारिक लेखा के लिए विकल्प	7	तैयार माल का आरंभिक स्टॉक			7		
	8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)			8		
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9		
		i	आवक वहन व्यय	9i			
		ii	विद्युत और ईंधन	9ii			
	iii	अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)	9iii				
	10	क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय					
		i	सीमा शुल्क	10i			
		ii	प्रति शुल्क	10ii			
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii			
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv			
		v	सेवा कर	10v			
vi		मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	10vi				
vii		केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii				
viii		राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii				
ix		समेकित माल सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix				
x		संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x				
xi		कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	10xi				
xii	योग (10i+10ii+10iii+10iv+10v+10vi+10vii+10viii+10ix+10x+10xi)			10xii			
11	माल उत्पाद की लागत - विनिर्माण लेखा से अंतरित			11			
12	कारबार/वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)			12			
12क	इंट्राडे का कारबार से आवर्त			12क			
12ख	इंट्राडे कारबार की आय- लाभ तथा हानि लेखा को अंतरित			12ख			

भाग क-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 भरें, अन्यथा यथा लागू 61 से 65 भरें)

सं क्र	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12+12ख)	13	
--------	----	---	----	--

14	अन्य आय				
	i	किराया	i		
	ii	कमीशन	ii		
	iii	लाभांश आय	iii		
	iv	व्याज आय	iv		
	v	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ	v		
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ	vi		
	vii	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ	vii		
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढ़ाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)	viii		
	ix	धारा 28(vi) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य)	ix		
	x	कृषि आय	x		
	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क	xiए		
		ख	xiइ		
		ग	योग (xiक + xiख)	xic	
xii अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)				14xii	
लाभ और हानि लेखा से विकलन	15	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग (13+14xii)		15	
	16	बर्हिगामी माल भाडा		16	
	17	भंडारों और कलपुर्जों का उपभोग		17	
	18	विद्युत और ईंधन		18	
	19	किराया		19	
	20	भवनों की मरम्मत		20	
	21	मशीनरी की मरम्मत		21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर			
	i	वेतन और मजदूरी	22i		
	ii	बोनस	22ii		
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
	v	छुट्टी यात्रा फायदा	22v		
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय	22vii		
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
	x	कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है	22x		
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)		22xi	
	xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं	

		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xliख		
23	बीमा				
	i	चिकित्सा बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	कीमेन्स बीमा	23iii		
	iv	अन्य बीमा, जिसके अधीन कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24	कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय				24
25	मनोरंजन				25
26	सत्कार				26
27	सम्मेलन				27
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)				28
29	विज्ञापन				29
30	कमीशन				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)			30iii
31	स्वामित्व				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)			31iii
32	वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)			32iii
33	होटल, बोर्डिंग और वासा				33
34	विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय				34
35	विदेशी यात्रा व्यय				35
36	वाहन व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतारीख गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	त्यौहार मनाए जाने संबंधी व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	दान				42
43	दान				43
44	दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय-कर को छोड़कर)				

	i	संघ का उत्पाद शुल्क	44i													
	ii	सेवा कर	44ii													
	iii	मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii													
	iv	उपकर	44iv													
	v	केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v													
	vi	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi													
	vii	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii													
	viii	संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)	44viii													
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित	44ix													
	x	कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)				44x										
45	संपरीक्षा फीस				45											
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)															
i		i														
ii		ii														
iii	कुल (i + ii)			46iii												
47	डूबत ऋण (ऐसे व्यक्ति का पैना/आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें, यदि उपलब्ध हों, जिसके लिए डूबत ऋण के संबंध में एक लाख रुपए या अधिक की रकम का दावा किया गया है और रकम)															
	i1										47i1					
	i2											47i2				
	i3											47i3				
	i	अपेक्षानुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं । कुल (47i1+47i2+47i3)										47i				
	ii	अन्य (1 लाख रुपये से अधिक) जहाँ पैना / आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूर्ण पता उपबंधित करें)										47ii				
	iii	अन्य (1 लाख रुपये से कम की रकम)										47iii				
	iv	कुल डूबत ऋण(47i + 47ii + 47iii)										47iv				
	48	डूबा और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध												48		
	49	अन्य उपबंध												49		
	50	व्याज, अवक्षयण और कर के पूर्व लाभ [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]												50		
51	व्याज															
i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी केलिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय										i					
ii	अन्य को										ii					
iii	कुल (i + ii)										51iii					
	52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण												52		
	53	करों के पूर्ण शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)												53		
	54	चालू कर के लिए उपबंध												54		
	55	आस्थगित कर का उपबंध												55		
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)												56		
57	पूर्ववर्ष से आगे लाया गया अतिशेष												57			

कर और विनियमों के लिए उपबंध

	58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)				58	
	59	आरक्षित और अधिशेष के लिए अंतरित				59	
	60	स्वत्वधारी के लेखे में तुलनपत्र के लिए अग्रणीत अतिशेष (58 -59)				60	
उपधारात्मक मापले	61	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना					
		क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड	विवरण	
	(i)	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ (ik + iख+ ig) (61i, 2 करोड़ रु. तक सीमित, तथापि, यदि 61iख+61ig, 61i के 5% से कम है या उसके समान है, तो 61i के अधीन सीमा 3 करोड़ तक विस्तारित की जाती है)				61i	
	(क)	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			ik		
		(ख) नकद में प्राप्ति			iख		
	(ग)	क और ख के सिवाय कोई अन्य पद्धति			ig		
	(ii)	धारा 44 क घ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iik + iix)				61ii	
	(क)	61i क का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो			iik		
		(ख) (61iख+61ig) का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो			iix		
	टिप्पण : यदि उपर्युक्त सकल प्राप्तियाँ/ आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।						
	62	धारा 44कघक के अधीन वृत्ति से उपधाराणात्मक आय की संगणना					
		क्रम सं.	कारबार का नाम		काराबार कोड	विवरण	
	(i)	सकल प्राप्तियाँ (62i, 50 लाख रु0 तक सीमित, तथापि, यदि 62iख+62ig, 62i के 5% से कम है या उसके समान है, तो 62i के अधीन सीमा 750 लाख रु0 तक विस्तारित की जाती है)				62i	
	(क)	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त				ik	
	(ख)	नकद में प्राप्ति				iख	
	(ग)	क और ख के सिवाय कोई अन्य पद्धति				ig	
	(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणत्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम, जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो)				62ii	
	टिप्पण : यदि आय सकल प्राप्ति के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।						
	63	धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना					
		क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड	विवरण	
		माल वहन की रजिस्ट्री-करण सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/ किराया	माल वहन की टन भार क्षमता (मिट्रीक टन में)	मासों की संख्या, जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/ किराया पर दिया गया था।	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (12 मि.ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति मास प्रति मास प्रति टन 1000 रु0 दी कर से संकलित या अन्य 7500 रु0 प्रति मास की दर से या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(क)						
	(ख)						

			कुल			
		आवश्यकतानुसार पंक्ति में व्यौरा भरें (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए)				
		(ii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधारणात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग]			63(iii)
		टिप्पण : यदि लाभ धारा 44 कड. के अधीन विहित से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व/पट्टे/किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44 कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है।				
वह दशा, जहां लेखा नहीं रखे जाते हैं	64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्ववर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।				
		(i)	कारबार करने वाले निर्धारिती के लिए			
		क	सकल प्रामियाँ (क1 + क2)		क	
			1	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1	
			2	कोई अन्य रीति	क2	
		ख	सकल लाभ		ख	
		ग	व्यय		ग	
		घ	शुद्ध लाभ			64i
		(ii)	वृत्ति करने वाले निर्धारिती के लिए			
		क	कुल प्रामियाँ (क1 + क2)		क	
			1	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क 1	
			2	कोई अन्य रीति	क 2	
		ख	सकल लाभ			
		ग	व्यय			
		घ	शुद्ध लाभ			64ii
		(iii)	कुल लाभ(64i + 64ii)			64iii
	65	i	सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवर्त			65i
		ii	सकल लाभ			65ii
		iii	व्यय, यदि कोई हो			65iii
		iv	सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)			65iv

भाग क - अन्य जानकारी		अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है, तो आज्ञापक है; अन्य के लिए, यदि लागू हो तो भरें)			
अन्य जानकारी	1	पूर्ववर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> वाणिज्यिक <input type="checkbox"/> नकद			
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं			
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(3)]	3क		
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(4)]	3ख		
	4	पूर्ववर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टाक के मूल्यांकन के पद्धति			
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)			
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)			
	ग	क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं			
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ		
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ		
	5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है—			
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क		
	ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय या जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख		
	ग	पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग		
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ		
ङ	पूँजी रसीद, यदि कोई है	5ङ			
च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क + 5ख + 5ग + 5घ + 5ङ)	5च			
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुनज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें				
क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क			
ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(ix)]	6ख			
ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(iii)]	6ग			
घ	उधार ली गई पूँजी के संबंध में संदत्त व्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ			
ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiए)]	6ङ			
च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च			
छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ			
ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को शेयरदान की रकम	6ज			

	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ			
	ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ			
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ईएसआई अधिनयम के अधीन गठित किसी निधि को शेयरदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vक)]	6ट			
	ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ			
	ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(viiक)]	6ड			
	ढ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ			
	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण			
	त	प्रतिभूतियों में संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूतियों की रकम, यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त			
	थ	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)]	6 थ			
	द	कोई अन्य नामंजूरी	6 द			
	घ	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)			6 घ	
7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम					
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क			
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख			
	ग	कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अनन्य रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए व्यय [37(1)]	7ग			
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ			
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ			
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च			
	छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ			
	ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज			
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ			
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)			7ञ	
8	अ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक			
	ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (I क) XVII- ख	अख			
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अनुपालना पर, धारा 40(क) (ix) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अग			
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अनुज्ञेय रकम XVII-ख	अघ			

		इ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)]	अइ			
		च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(iiक)]	अच			
		छ	धारा 40(क)(iiख) के अनुसार स्वामिस्व अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम	अछ			
		ज	किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा [40(ख)/40(खक)] के अधीन अस्वीकार्य	अज			
		झ	कोई अन्य नामंजूरी	अझ			
		ञ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग)				8अञ
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम				8आ	
9	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम						
	क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क				
	ख	धारा 40क(3) के अधीन आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख				
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40क(7)]	9ग				
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यष्टि निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40क(9)]	9घ				
	ङ	कोई अन्य नामंजूरी	9ङ				
	च	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ङ)					9च
10	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय, किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम						
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क				
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख				
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग				
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ				
	चक	ऐसे ऋण या उधार से संबंधित समझौते निबंधन और शर्तों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में से देय कोई रकम	10चक				
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ				
	च	अवकाश नकदीकरण के मद्दे संदेय कोई राशि	10च				
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	10छ				
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे 15सूक्ष्म या लघु उद्यम की संदेय कोई रकम	10ज				
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग)				10झ	
11	पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अनुज्ञेय						

	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	च	ऐसे ऋण या उधार से संबंधित समझौते निबंधन और शर्तों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में से देय कोई रकम	11च		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	अवकाश नकदीकरण के मदे संदेय कोई राशि	11च		
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम की संदेय कोई रकम	11ज		
	झ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11झ	
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य रकम	12ज		
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ	
13	धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम				13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				14
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15
16	धारा 14क के अधीन नामंजूर व्यय की रकम				16
17	क्या निर्धारित धारा 92 गड की उपधारा 2क के अधीन विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां नहीं <input type="checkbox"/> [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]				17
भाग क-मात्रात्मक ब्यौरे		मात्रात्मक ब्यौरे (आज्ञापक, यदि धारा 44कख के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी है))			
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक		1	
	2	पूर्ववर्ष के दौरान क्रय		2	
	3	पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय		3	
	4	अंतिम स्टाक		4	
	5	कमी/अधिक यदि कोई हो		5	

(ख) किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में			
6	कच्ची सामग्री		
क	आरंभिक स्टॉक	6क	
ख	पूर्ववर्ष के दौरान क्रय	6ख	
ग	पूर्ववर्ष के दौरान खपत	6ग	
घ	पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
ङ	अंतिम स्टॉक	6ङ	
च	प्राप्त तैयार माल	6च	
छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ	
ज	कमी/अधिक, यदि कोई हो	6ज	
7	तैयार माल / उपोत्पाद		
क	आरंभिक स्टॉक	7क	
ख	पूर्ववर्ष के दौरान क्रय	7ख	
ग	पूर्ववर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
घ	पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
ङ	अंतिम स्टॉक	7ङ	
च	कमी/अधिक, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

अनुसूची वेतन		वेतन से आय का ब्यौरा		
वेतन	नियोजक का नाम	नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्रॉप डाउन दिया जाएगा)	नियोजक का टैन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)	
	नियोजक का पता	नगर / शहर	राज्य	
			पिन कोड / ज़िप कोड	
	1 सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)		1	
	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क	
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख	
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग	
	घ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय	1घ	
	ङ	अधिसूचित देश(घ) के अतिरिक्त के अधीन देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ	
च	गत वर्ष के दौरान प्रभाष्य आय जिसमें धारा 89क के अधीन अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया	1च		
(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)				
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)	2		
2क	धारा 89 क के अधीन कराधान से राहत के लिए आय का दावा	2क		

3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (टिप्पण: सुनिश्चित करें कि यह उपर्युक्त (2) में कुल सकल आय में सम्मिलित है)	3	
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3)	4	
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)	5	
	क धारा 16(i) के अधीन मानक कटौती	5क	
	ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख	
	ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग	
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)	6	

अनुसूची गृह संपत्ति		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व दर्शित करने वाला ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)											
गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	दिश	पिन कोड / जिप कोड							
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)												
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%) <input type="checkbox"/>												
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या			संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता							
	I												
	II												
	[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)		किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें)			किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)					
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I										
	<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II										
	<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया												
	क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या किराये पर देने का मूल्य							1क				
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती							1ख				
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर							1ग				
	घ	योग (1ख + 1ग)							1घ				
	ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के अधिभोग आदि में है)							1ङ				
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)							1च					
छ	1च का 30%							1छ					
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (विवरण ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाऊन में भरना होगा)							1ज					
झ	योग (1छ + 2ज)							1झ					
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया							1ञ					
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज)							1ट					
	(प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें)												
2	पास श्रु आय/हानि, यदि कोई है *										2		
3	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (Σ1ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लें)										3		

		2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)			2ख			
			3	धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के अधीन प्रभार्य अन्य शीर्षों के अधीन आय, लाभ तथा हानि लेख में जमा प्राप्ति/ आय	क	वेतन	3क		
					ख	गृह संपत्ति	3ख		
					ग	पूँजी अभिलाभ	3ग		
					घ	अन्य स्रोत	3घ		
ङ	धारा 115खखच के अधीन	3ङ							
		4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कघक/44कड/44ख/44खख/44खखक/ 44खखग/44घक (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)			4क			
			4ख	नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉप डाऊन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप डाऊन))			4ख		
				छ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की शुद्ध लागत)	3छ	(अनुसूची बीडीए की मद सं. क)		

		5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है							
			क	फर्मों से आय का शेयर		5क				
				ख		एओपी / बीओआई से आय का शेयर	5ख			
				ग		कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)				
				i		गा				
					ii		गाii			
					iii	योग (ग i + ग ii)	5 ग iii			
			घ	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)				5 घ		
		6	शेष (1- 2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 3च - 3छ - 4क - 4ख - 5 घ)						6	

		7	लाभ तथा हानि लेखा में विकलित व्यय धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के अधीन प्रभार्य आय से संबंधित अन्य शीर्ष के अधीन परिकलित आय	क	वेतन	7क				
				ख	गृह संपत्ति	7ख				
				ग	पूँजी अभिलाभ	7ग				
				घ	अन्य स्रोत	7घ				
				ङ	धारा 115खखच के अधीन	7ङ				
				च	115खखछ के अधीन	7च				
				छ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की लागत से भिन्न)	7छ				
		8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित है				8क			
		8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखे में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देने और नामंजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 16)				8ख			
		9	कुल (7क+7ख+7ग+7घ+7ङ+7च+7छ+8क+8ख)				9			
		10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)						10	

		11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण		11	
		12	आय-कर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण			
		i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची अवक्षयण का स्तंभ 6)	12i		
		ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आय-कर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)	12ii		
		iii	कुल (12i + 12ii)		12iii	
		13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)		13	
		14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओआई का 6घ)	14		
		15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओआई का 7 य)	15		
		16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओआई का 8कड)	16		
		17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओआई का 9 च)	17		
		18	पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-- 43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं (भाग क -ओआई का 11ज)	18		
		19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय व्याज	19		
		20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20		
		21	धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कखक / 35कखक / 35 कखख / 35 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 झझघ / 80-क के अधीन समझी गई आय	21		
		22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय	22		
		23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23		
		24	कोई अन्य आय, जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है/ अननुज्ञात कोई व्यय (जिसके अधीन उस फर्म से, जिसमें कोई व्यक्ति/हिंदू अविभक्त कुटुंब/स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और व्याज से आय भी है)	24		
		25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कमी (अनुसूची णझ के स्तम्भ 3क + 4छ)	25		
		26	कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)		26	
		27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27		
		28	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौतियों की रकम (अनुसूची डधद की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)	28		
		29	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम (भाग क- ओआई का 8ख)	29		
		30	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओआई का 10ज)	30		
		31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31		

		32	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (भाग क -ओआई का स्तम्भ 3ख + 4ङ)	32		
		33	कुल (27+28+29+30+31+32)		33	
		34	आय (13+26-33)		34	
		35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -			
			i धारा 44कघ (अनुसूची लाभ हानि का 61(ii))	35i		
			ii धारा 44कघक (अनुसूची लाभ हानि का 62 (ii))	35ii		
			iii धारा 44कङ (अनुसूची लाभ हानि का 63(ii))	35iii		
			iv धारा 44ख	35iv		
			v धारा 44खख	35v		
			vi क धारा 44खखक	35vi क		
			vi ख धारा 44खखग	35vi ख		
			vii धारा 44घक	35vii	(प्ररूप उ ग ङ की मद ग)	
			viii कुल (35i से 35vii)		35viii	
		36	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35viii)		36	
		37	सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ङ + 37च)		क 37	
			क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क		
			ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ख		
			ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ग		
			घ नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37घ		
			ङ नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ङ		
			च नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 40)	37च		
		38	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात्, कृषि से समझी गई आय का अतिशेष [4ख-(37क+ 37ख + 37ग+ 37घ + 37ङ.)]		38	
	आ		सट्टा के कारबार से आय की संगणना			
		39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क)		39	
		40	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		40	
		41	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां		41	
		42	अनुमानित कारबार से आय (39 + 40 - 41) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक लें)		ख 42	
	इ		धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना			
		43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		43	
		44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		44	
		45	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियां ((i) धारा 35कङ, (ii) धारा 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न, जिस कटौती का दावा धारा 35कङ के अधीन किया गया है)		45	
		46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43 + 44 - 45)		46	

		47	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियाँ	47	
		48	अनुमानित कारबार से आय (46 - 47) (यदि हानि है तो अनुसूची सीएफएल के 7xi से अंक लें)	ग48	
		49	धारा 35कछ की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाऊन मेन्यू से चयनित की जाए)	ग49	
उ			कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 37+ ख 42+ ग 48)	उ	
ऊ	ऊ	चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष			
	क्र.सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई कारबार हानि	मुजरा होने के पश्चात शेष कारबार आय
			(1)	(2)	(3)=(1) - (2)
	i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरे यदि अंक नकारात्मक है)		(क 37)	
	ii	अनुमानित कारबार से आय	(ख 42)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)			
	v	मुजरा होने के बाद शेष हानि (i - iv)			
टिप्पण		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें			

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण		संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)			
संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	संयंत्र और मशीनरी			
	2	15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3 क	पूर्ववर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य			
	3 ख	धारा 115खकग की उपधारा (3) के दूसरे उपबन्ध के अनुसार समायोजन (नियम 5 के प्रतिनिर्देश)			
	3	कुल (3क) + (3ख)			
	4	पूर्ववर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन			
	5	3ख या 4 में से पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन			
	6	रकम, जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3ख+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			
	7	पूर्ववर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन			
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन			
	9	रकम, जिस पर अवक्षयण आधी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है, तो शून्य लिखें)			
	10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण			
	11	9 पर आधी दर से अवक्षयण			

12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति, जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण (10+11+12+13+14)				
16	आय-कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञात अवक्षयण (स्तम्भ 15 में से)				
17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)				
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)				
19	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3ख - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण			अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न, जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)						
अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	दर (%)	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्ववर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्ववर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्ववर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	9	रकम, जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण							
	11	9 पर आधी दर से अवक्षयण							
	12	कुल अवक्षयण (10+11)							
	13	आय-कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 में से)							
	14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)							
15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 14 में से)								

16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/ हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 16) (केवल तभी नकारात्मक लिखें, यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
18	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 - 12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अनुसूची - आस्तियों पर अवक्षयण का सार

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार

1	संयंत्र और मशीनरी					
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i यथालागू)	1क			
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii यथालागू)	1ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागू)	1ग			
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, यथालागू)	1घ			
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)			1ङ	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)					
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागू)	2क			
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागू)	2ख			
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची आस्तियों पर अवक्षयण 14iv या 15iv यथालागू)	2ग			
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागू)					3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागू)					4
5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथा लागू)					5
6	कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)					6

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ		अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ						
	1	संयंत्र और मशीनरी						
		क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क				
		ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख				
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग				

	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		
	ङ	कुल (1क+1ख+1ग+1घ)		1ङ	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17ii)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17iii)	2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17iv)	2ग		
	घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17v)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)				4
5	पोत (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17vii)				5
6	कुल (1ङ+2घ+3+4+5)				6

अनुसूची इ.एस.आर		वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती)		
क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती की रकम	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iiक)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
Viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण▶	धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iiक) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2कक) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार व्यौरे उपलब्ध कराएं)			

अनुसूची पूंजी अभिलाभ		पूंजी अभिलाभ			
पूंजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (अनिवासियों के लिए उपमद 4 और 5 लागू नहीं)			
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)			
	अभिलाभ	क्रय/अधिग्रहण की तारीख		तारीख/मास/वर्ष	विक्री/स्थानांतरण की तारीख
		क्रय/अधिग्रहण की तारीख		तारीख/मास/वर्ष	विक्री/स्थानांतरण की तारीख
	क	i	प्राप्त/प्राप्त्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		का
		ii	स्टॉक मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य		काii

			iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कii) के 1.10 गुणा से अधिक न होने की दशा में (कi), इन अंकों को (कi) के रूप में ले या अन्यथा (कii) लें]	कiii			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi			
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii			
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	खiii			
			iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv			
			ग	शेष (कiii - खiv)	1 ग			
			घ	धारा 54ख/54छ/54झक के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1 घ			
			ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)			क 1 ड	
			च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण दें)				
				क्रम सं.	क्रेताओं का नाम	क्रेताओं का पैन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम
								संपत्ति का पता
								पिन कोड
				टिप्पण ►	यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है, तो पैन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।			
			2	गिरावट विक्रय से				
			क	i नियम 11पकड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कi			
				ii नियम 11पकड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii			
			iii	प्रतिफल का उचित मूल्य (का या कii में से उच्चतर)	2कiii			
			ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति	2ख	(प्ररूप आडक का 6(ङ))		
			ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 कiii - 2 ख)			क2ग	
			3	ईक्यूटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख ईक्यूटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परन्तुक (ऊll के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है (जहां क4 लागू नहीं है)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ है	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ है		
			क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	3 क			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii			
			iv	योग (खi + खii + खiii + खiv)	ख iv			
			ग	शेष (3क - खiv)	3 ग			
			घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि -उदाहरण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति क्रय या अर्जित की जाती है और लाभान्श/आय/ बोनस यूनिटें प्राप्त की जाती है, तब ऐसी आस्ति से विक्रय उद्भूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	3घ			

			ड	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख ड च (संदत्त एसटीटी) पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3 ग +3 घ)	3ड।		3ड।।	क3ड		
		4	अनिवासी के लिए जो एफआईआई नहीं है। - किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांश की बिक्री से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनिमय के साथ गणना की जाये)							
			क	धारा 111क के अधीन आने वाले संव्यवहारों पर एसटीसीजी (अ4क। + अ4क।।)				अ4क		
				i) जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ है				अ4क।		
				ii) जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ है				अ4क।।		
			ख	क्रम सं. 4 में नहीं आने वाले शेयरों के विक्रय या बंधपत्रों के विक्रय पर एसटीसीजी				अ4ख		
		5	अनिवासियों के लिए - धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (ऊपर अ3 पर से भिन्न) के विक्रय से							
			क	i	प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित व्यौरे प्रविष्ट करें :-					
				क	कोट न किए जाने वाले शेयरों की प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर	i।क				
				ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i।ख				
				ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i।ग				
				ii	अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ii				
				iii	कुल (iग + ii)	क iii				
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i				
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
				iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii				
				iv	योग (खा + खii + खiii)	ख iv				
			ग	शेष (5कiii - खiv)				5 ग		
			घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि - उदाहरण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति क्रय या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)				5 घ		
			ड		एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (ऊपर अ3 से भिन्न) 5ग+5 घ)				क 5	
		6	ऊपर क1 या क2 या क3 या क4 या क5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से							
			क	i	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत करें					
				क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	i।क				
				ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i।ख				

				ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ig			
				ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
				iii	कुल (ig + ii)	क iii			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii			
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii			
				iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv			
				iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख v			
			ग	शेष (6कiii - खiv)		6 ग			
			घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि -उदाहरण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभ/आय/बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी प्रतिभूति से विक्रय उद्भूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)		6 घ			
			ङ	अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (अनुसूची डीओसीजी का 6)		6ङ			
			च	धारा 54छ/54छक के अधीन कटौतियाँ		6च			
			छ	ऊपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी (6ग + 6घ + 6ङ - 6च)			क 6छ		
		7	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि						
			क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं है, यदि हाँ, तो व्यौरें उपलब्ध कराएं					
				क्रम संख्या	पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियाँ अंतरित की गई हैं	वह धारा, जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियाँ अर्जित/निर्मित की गई हैं	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	
				i	2021-22	54छ/54छक			
				ii	2022-23	54ख/54छ/54छक			
				iii	2023-24	54ख/54छ/54छक			
			ख	धारा 54ख/54छ/54छक के अधीन समझे गए अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ, से भिन्न					
				समझे गए अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ की कुल राशि (कxi+ कxii + कxiii +ख)					क7
			8	अल्पकालिक पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें) (अ8कi+अ8कii+अ8ख+अ8ग)					क8
				कi	अल्पकालिक पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 15% की दर से प्रभावी		क8कi		

				का॥	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 20% की दर से प्रभार्य			क8का॥										
				ख	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30% की दर से प्रभार्य			क8ख										
				ग	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य			क8ग										
			9	एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है, परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए दावाकृत प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है														
				क्रम संख्या	आय की रकम	ऊपर मद सं. अ1 से अ8, जिसमें सम्मिलित हैं	देश का नाम और कोड	डी डीटी ए के वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य प्रविष्ट करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6) या (9) में से निम्नतर]					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
				I														
				II														
				क	डीटीए के अधीन एसटीसीजी दावाकृत प्रभार्य कर की कुल राशि							अ9क						
				ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से दावाकृत प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम							अ9ख						
				अ(अ)	1 अक्तूबर, 2024 को या उसके पश्चात् शेयरों के पुनः क्रय पर पूंजीगत हानि [अल्पकालिक पूंजीगत हानि 20%/30%/लागू दर] (केवल तभी दावा किया जा सकता है जब संबंधित डिविडेंट आय धारा 2 (22च) के अधीन प्रस्तावित है)							अ(अ)						
			10	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अ1ड+अ2ग+अ3ड+अ4क+अ4ख+अ5ड+अ6छ+अ7+अ8-अ9क+अ(अ))							अ10							
	आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (उपमद 6, 7, 8 और 9 निवासियों के लिए लागू नहीं है)																
		1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए क से च तक पृथकतः व्यौरे भरें)															
			क्रय/अधिग्रहण की तारीख				तारीख/वर्ष/मास			विक्रय/अंतरण की तारीख		तारीख/वर्ष/मास						
			क	i	प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण प्रतिफल						कां							
				ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य						कांii							
				iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कांii) के (कां) से गुणा न होने की दशा में इस संख्या को 1.10 (कां) के रूप में ले या अन्यथा (कांii) लें]						कांiii							
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां														
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत						खां							
				ii	सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत (केवल निम्न के लिए लागू : (क) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरणों को, या (ख) धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणन संबंधी प्रयोजनों के लिए निवासियों को, जहां ऐसा अर्जन और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है						खांii							

			ii ख	सुधार की कुल लागत	ख			
				(क) सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खा+ख(क)			
				(ख) सुधार वर्ष				
				(ग) सूचीकरण के साथ सुधार लागत ख और ग केवल निम्नलिखित के लिए लागू : (क) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरण, या (ख) धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणन संबंधी प्रयोजनों के लिए निवासियों को जहां ऐसा अर्जन और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है)	खा+ख(ग)			
				पंक्ति जोड़ें				
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य रूप से व्यय	ख+iii			
			iv	योग (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ है ख+क+ Σ खा+ख(ग)+ ख+iii); जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् हुआ है ख+ Σ खा+ख(क)+ ख+iii)	ख+iv			
			ivक	कुल केवल डांख की संगणना करने हेतु डांख की संगणना करने के प्रयोजन (खा+क)+ Σ खा+ख(ग)+ख+iii (धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणना संबंधी प्रयोजनों के लिए नागरिकों को लागू जहां ऐसा अर्जन 23 जुलाई, 2024 के पूर्व हुआ है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है)	ख+ivक			
		ग	गक	शेष (का+iii -ख+iv)	1ग			
				शेष (का+iii -ख+ivक) (धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणना संबंधी प्रयोजनों के लिए नागरिकों को लागू जहां ऐसा अर्जन 2024, जुलाई 23 के पूर्व हुआ है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है) (केवल डांख की संगणना के प्रयोजन के लिए)	1ग+			
				धारा 54/54ख/54घ/54ङग/54च/54छ /54छक के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1घ			
			ड	स्थायर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)				ख 1 ड
			डक	स्थायर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1गक - 1घ) (धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणना संबंधी प्रयोजनों के लिए नागरिकों को लागू जहां ऐसा अर्जन 23 जुलाई, 2024 के पूर्व हुआ है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है) (केवल डांख की संगणना के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक होने पर शून्य माना जाएगा)	ख1डक			
			डां	जहां अर्जन 23 जुलाई, 2024 के पूर्व हुआ है और अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है (केवल निवासियों के लिए) क. 112(1)(क)(ii)(ख) के अनुसार कर (1ड*12.5%) (ख) धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के प्रयोजन के लिए कर (1डक*20%) (टिप्पण- (डां) पर संगणित कर 'डां' में अधिक रकम पर हिसाब में न लिया जाए' का अवधारण करने के लिए है।	ख1डां(क) ख1डां(ख)			
			डांii	अधिक रकम, यदि कोई है, जो (केवल निवासियों के लिए) धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अनुसार हिसाब में नहीं ली जानी है) [ख1डां(क)- ख1डां(ख)]	ख1 डांii			
		च	स्थायर संपत्ति को अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (देखें टिप्पण)					
			क्रम सं.	क्रेताओं का नाम	क्रेताओं का पैन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता
								पिन कोड एवं राज्य

		टिप्पण ▶	यदि कर की कटौती धारा 194 झक के अधीन की गई है, तो पैन/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, । एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें ।				
		छ	स्थायर संपत्ति पर कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (Σख1ड) जहां अंतरण				
		(क)	23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (23 जुलाई, 2024 से पूर्व अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ का जोड़)				
		(ख)	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ का जोड़)				
		(ग)	अनदेखी किए जाने वाला कुल अधिक कर (Σख1डii)				
		2	गिरावट विक्रय से		जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (i)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (ii)	
		क	i नियम 11पकड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2का			
			ii नियम 11पकड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2काii			
			iii प्रतिफल का उचित मूल्य (कां या कां में से उच्चतर)	2काiii			
		ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति	2ख	(ग्रुप आडक का 6(ड))	(ग्रुप आडक का 6(ड))	
		ग	शेष (2काiii - 2 ख)	2ग			
		घ	धारा 54डग/54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	2घ			
		ड	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ)	ख2ड	ख2डi	ख2डii	
		3	निवासियों से गैरसूचीबद्ध बंधपत्रों या गैरसूचीबद्ध डिबेंचर के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजीगत सूचीकृत बंधपत्रों से भिन्न) (केवल वहां लागू जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था)				
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		3क		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		खाi		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		खाii		
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय		खाiii		
		iv	योग (खाi+खाii+खाiii)		खाiv		
		ग	शेष (3क - खाiv)		3ग		
		घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		3घ		
		ड	बंधपत्र या डिबेंचर पर एलटीसीजी (3ग - 3घ)				ख3ड
		4(i)	धारा 112(1) के अनुसार सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (किसी यूनिट से भिन्न) या जीरो कूपन बंधपत्रों के विक्रय से		जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था	
		क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	4क			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
		i	सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत	खा			

				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था, केवल धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अनदेखी किए जाने वाले अधिक कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू)	खांक			
				ii	सूचीकरण के साथ सुधार की लागत	खांii			
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था, केवल धारा 112(1) के अनुसार अनदेखी किए जाने वाले अधिक कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू)	खांii			
				iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	खांiii			
				iv	योग (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था, खा + खांii + खांiii) (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था, खांक + खांii + खांiii)	खाiv			
				iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	खाivक			
				ग	शेष (4क - खाiv)	4ग			
				गक	शेष (4क - खाivक) (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अनदेखी किए जाने वाले अधिक कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए) (वहां लागू, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था)	4गक			
				घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में व्यौरें विनिर्दिष्ट करें)	4घ			
				ड	ऊपर आ4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4ग - 4घ) (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व (ii) अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	आ4(i)ड आ4(i)डां आ4(i)डांii			
				डक	ऊपर आ4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (4गक - 4घ) (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अधिक कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए)				
				च	धारा 112(1)(क)(ii)(अ) या 112(1)(ग)(ii)(अ) के अनुसार कर [सूचीकरण के साथ 20% से एलटीसीजी] [आ4(ड)•20%] (वहां लागू, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था)	आ4(i)च			
				छ	धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार कर [सूचीकरण के बिना 10% से एलटीसीजी] [आ4(डक)•10%] (वहां लागू, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था)	आ4(i)छ			

			अधिक राशि, जिसकी धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अनदेखी करनी है [आ4(च) - आ4(छ)] (वहां लागू, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था)	आ4(i)ज		
	4(ii)	धारा 115कक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी की जीडीआर के विक्रय से (केवल निवासी व्यष्टियों के लिए लागू)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (i)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (ii)		
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खा			
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii			
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	खiii			
	iv	योग (खा+खii+खiii)	खiv			
	ग	शेष (3क - खiv)	4ग			
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में व्यौरें विनिर्दिष्ट करें)	4घ			
	ङ	ऊपर आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जहां अंतरण (3ग - 3घ) (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	आ4(ii)ङ आ4(ii)ङा आ4(ii)ङii			
	5	किसी कंपनी में साम्या शेयरों के विक्रय या साम्या उन्मुख निधि की यूनिटों या किसी कारबार न्यास की यूनिट का विक्रय, जिसमें धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है				
	क	धारा 112क के अधीन एलटीसीजी [अनुसूची 112क का स्तंभ 14(iii)]	5क			
	i.	स्तंभ 14 की रकम, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	5का			
	ii.	स्तंभ 14 की रकम, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	5काii			
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में व्यौरें विनिर्दिष्ट करें) i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था	5ख 5खा 5खii			
	ग	i. ऊपर आ5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जहां अंतरण (5क - 5ख) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था		आ5ग आ5गा आ5गाii		
	6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)				
	क	सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी, जहां अंतरण, i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर से भिन्न iii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)	6क 6का 6काii 6काiii			

				धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)					
			ख	i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर से भिन्न iii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)	6ख 6खi 6खii 6खiii				
			ग	शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी (6क - 6ख) i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था - सूचीबद्ध डिबेंचर से भिन्न iii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)		आ6ग आ6गा आ6गii आ6गiii			
	7			अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या ग्लोबल निक्षेपागार रसीदों, (iii) धारा 115कघ में यथानिर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न, जिसके लिए स्तंभ ख8 भरा जाना चाहिए।) के विक्रय से टिप्पण : क्रम संख्यांक (iii) के लिए, अंतरण की तारीख के आधार पर आय का विभाजन अपेक्षित नहीं है।	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (i)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (ii)			
			क	i. प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें					
			क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	ik				
			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ix				
			ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ig				
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ka				
			iii	कुल (ig + ii)	ka				
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi				
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii				
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	खiii				
			iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv				
			ग	शेष (ka - खiv)	7ग				
			घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	7घ				

			अनिवासियों की दशा में, ऊपर 7 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (7ग - 7घ)				
		ड	i. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था [7(i) और 7(ii) के लिए लागू] ii. जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था [7(i) और 7(ii) के लिए लागू] iii. धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय से		आ7ड आ7डiii आ7डii आ7डiii		
		8	एफआईआई/एफपीआई (अनिवासियों) के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुक्त निधि के यूनितों या किसी न्यास की यूनितों का विक्रय, जिस पर धारा 115कघ के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है।				
		क	धारा 112क के अधीन एलटीसीजी [115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक का स्तंभ 14(iii)] (8का+8काii)	8क			
		i.	स्तंभ 14 की रकम, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	8का			
		ii.	स्तंभ 14 की रकम, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	8काii			
		ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में व्योरे विनिर्दिष्ट करें) i. 23 जुलाई, 2024 से पूर्व ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	8ख 8खा 8खii			
		ग	ऊपर आ8 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (8क - 8ख), जहां अंतरण i. 23 जुलाई, 2024 से पूर्व था [8(i) और 8(ii) के लिए लागू] ii. 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था [8(i) और 8(ii) के लिए लागू]		आ8ग आ8गा आ8गाii		
		9	अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन विकल्प दिया गया है)				
		क	(धारा 115च के अनुसार) के विक्रय पर एलटीसीजी (सूचीकरण के बिना गणना किया गया) जहां अंतरण	9क			
		i.	23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	9का			
		ii.	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	9काii			
		ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में व्योरे विनिर्दिष्ट करें)	9ख			
		i.	23 जुलाई, 2024 से पूर्व था	9खा			
		ii.	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था	9खii			
		ग	विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (9क - 9ख), जहां अंतरण				आ9ग
		i.	23 जुलाई, 2024 से पूर्व	आ9गा			
		ii.	23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात्	आ9गाii			

10	आस्तियों के विक्रय से, जहां ऊपर आ1 से आ9 तक लागू नहीं है			जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया था (i)	जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया था (ii)
	क	i	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत करें		
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क	
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख	
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग	
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		कii	
iii	कुल (ग + ii)		क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	23 जुलाई, 2024 से पूर्व के अंतरण के लिए सूचीकरण के साथ, तथा 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् के अंतरण के लिए सूचीकरण के बिना, अर्जन की लागत		खi	
	ii	23 जुलाई, 2024 से पूर्व के अंतरण के लिए सूचीकरण के साथ, तथा 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् के अंतरण के लिए सूचीकरण के बिना, सुधार की लागत		खii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप से व्यय		खiii	
	iv	योग (खi + खii + खiii)		खiv	
	ग	शेष (10कiii - खiv)		10ग	
	घ	धारा 54घ/54च/54छ/54झ के अधीन कटौती (मद घ में व्यौरें विनिर्दिष्ट करें)		10घ	
	ङ	ऊपर आ10 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (10ग - 10घ)		आ10ङ	आ10ङi आ10ङii
11	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
क	क्या नीचे दिखाये गए पूर्ववर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो व्यौरा उपलब्ध करायें				
क्रम संख्या	पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	धारा, जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया	नई आस्तियां अर्जित/ निर्मित की गई हैं	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाते में से उपयोग की गई रकम	क्या परिसीमा/ निकासी की तारीख 23 जुलाई, 2024 से पूर्व थी
			पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाते में से उपयोग की गई रकम	पूंजी अभिलाभ खाते (x) में उपयोग में नहीं आई रकम

			II															
			क	डीटीए के अधीन कर से प्रभाय नहीं दावाकृत एलटीसीजी की कुल रकम												ख13क		
			ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभाय दावाकृत एलटीसीजी की कुल रकम												ख13ख		
	आ (अ)			1 अक्तूबर, 2024 को या उसके पश्चात् वापस क्रय किए गए शेयरों पर पूंजी हानि (12.5%/ अनिवारियों के लिए धारा 115कघ के अधीन आने वाले संव्यवहारों के लिए 10% की दर से दीर्घकालिक पूंजी हानि) (केवल तभी दावा किया जा सकता है, जब संबंधित लाभोश आय धारा 2(22)(च) के अधीन प्रस्तावित की जाती है)												आ(अ)		
		14	आय-कर अधिनियम के अधीन प्रभाय कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ [आ1ड + आ2ड + आ3ड + आ4ड + आ4iiड + आ5च + आ6ग + आ7ड + आ8च + आ9ग + आ10ड + आ11 + आ12 - आ13क+आ(अ)]												ख14			
	ग1	पूंजी अभिलाभ आय की राशि (नीचे सारणी उ का 11ii + 11iii + 11iv + 11v + 11vi + 11vii + 11viii +11ix + 11x)												ग				
	ग2	आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वीडीए की मद सं. ख)												ग2				
	ग3	“पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (ग1 + ग 2)												ग3				
	घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना																
		1	धारा 54/54 ख /54 घ/ 54डग /54 च /54 छ/54 छक /54छ ख /115 च के अधीन कटौती के मामले में निम्नलिखित व्यौरे दें															
			क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती														
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख						क i	दिन/मास/वर्ष							
			ii	नये आवासीय घर की लागत						क ii								
			iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख						क iii	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई							
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम						क iv								
			ivक	निक्षेप की तारीख			ivख लेखा संख्याक			ivग आईएफएस कोड								
				दिदि/मामा/वाईवाईवाईवाई														
			v	दावाकृत कटौती की रकम						क v								
			ख	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती														
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख						ख i	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई							
			ii	नई कृषि भूमि की लागत						ख ii								
			iii	नई कृषि भूमि के क्रय की तारीख						ख iii	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई							
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम						ख iv								
				ivक जमा की तारीख			ivख लेखा संख्याक			ivग आईएफएस कोड								
				दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई														
			v	दावाकृत कटौती की रकम						ख v								
			ग	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती														
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख						ग i	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई							
			ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत						ग ii								
			iii	नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख						ग iii	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई							

			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ग iv		
				ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड	
				दिदि/मामा/वाईवाईवाईवाई			
			v	दावाकृत कटौती की रकम	ग v		
			घ	धारा 54डग के अधीन दावाकृत कटौती			
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घi	दिन/मास/वर्ष	
			ii	विनिर्दष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम	घii		
			iii	विनिधान की तारीख	घiii	दिन/मास/वर्ष	
			iv	दावाकृत कटौती की रकम	घiv		
			ड	धारा 54 च के अधीन दावाकृत कटौती			
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	डi	दिन/मास/वर्ष	
			ii	नये आवासीय घर की लागत	डii		
			iii	नए आवासीय घर के क्रय / विनिर्माण की तारीख	डiii	दिन/मास/वर्ष	
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	डiv		
				ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड	
				दिदि/मामा/वाईवाई			
			v	दावाकृत कटौती की रकम	डv		
			च	धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती			
			i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	चi	दिन/मास/वर्ष	
			ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	चii		
			iii	शहरी क्षेत्र से भिन्नक्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	चiii	दिन/मास/वर्ष	
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	चiv		
				ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड	
				दिदि/मामा/वाईवाई			
			v	दावाकृत कटौती की रकम	चv		
			छ	धारा 54छक के अधीन दावाकृत कटौती			
			i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	छi	दिन/मास/वर्ष	
			ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	छii		
			iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख	छiii	दिन/मास/वर्ष	

[illegible]

[illegible]

3	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई					
4	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई					
5	डीटीए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई					
6	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 xक से मूल्य भरें, यदि कोई					
7	12.5 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 xख से मूल्य भरें, यदि कोई					
8	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 xi से मूल्य भरें, यदि कोई					
9	डीटीए दरों की दर पर कर से प्रभार्य दीर्घवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii का मूल्य दर्ज करें					
10	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 17ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					
टिप्पण	कृपया विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) जिन्हें इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते हुए अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट किया गया है।					

किसी कंपनी या इक्विटी ओरएंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अधीन एसटीटी का भुगतान किया जाता															
क्रम सं.	अंतिम शेयर/इकाई (31 जनवरी 2018 को या उसके पूर्व/पश्चात)	अंतरित शेयर/यूनिट (23 जुलाई 2024 को या उसके पूर्व/पश्चात)	आईएसआईए न कोड	शेयर/इकाई का नाम	शेयर/इकाई या की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	अनुक्रमण के बिना अधिग्रहण की लागत (8 या 9 से अधिक)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घाविधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) - (4*10) के अनुसार अनुसूचित परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौति या (7+12)	शेष (6-13) - आईटीआर -3 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5 (क)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 1क)	(स्तंभ 1ख)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)	(स्तंभ 8)	(स्तंभ 9)	(स्तंभ 10)	(स्तंभ 11)	(स्तंभ 12)	(स्तंभ 13)	(स्तंभ 14)
1															
2															
3															
4															
पंक्ति जोड़ें															
(i) स्तंभ 14 का योग, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व था।															
(ii) स्तंभ 14 का योग, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् था।															
(iii) धारा 112क के साथ पठित 115कघ (1) (ख)(iii) के परंतुक (I + II) के तहत एलटीसीजी का कुल															

[illegible]

अनुसूची बी.डी.ए	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय टिप्पण : प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे जिसमें प्रत्येक अंतरण एक संव्यवहार है, भरे जाएंगे	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	शीर्ष जिसके अधीन आय पर कर लगे हैं (कारबार/ पूंजी अभिलाभ)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा 56(2)(x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 – स्तंभ 5)
क्रम सं.	(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
पंक्तियां जोड़ें							
क. कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)							(अनुसूची बीपी का मद सं. क 3छ)
ख. कुल(स्तंभ 7 के कारबार आय की समस्त सकारात्मक आय की राशि)							(अनुसूची सी.जी का मद सं. ग 2)

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय			
1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1			
	क लाभांश, सकल (क+कii+कiii)	1क			
	i ii और iii के अलावा लाभांश आय	का			
	ii धारा 2(22)(ड़)के अधीन लाभांश आय	कii			
	iii धारा 2(22)(च)के अधीन लाभांश आय	कiii			
	ख ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख			
	i बचत खाते से	खi			
	ii जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से	खii			
	iii आय-कर प्रतिदाय से	खiii			
	iv पास धु आय की प्रकृति की आय में	खiv			
	v धारा 10(11)के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खv			
	10(12)				
	vi धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi			
	vii धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii			
	viii धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii			
	ix अन्य	खix			
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग			
	घ धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)	1घ			
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi			
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii			
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii			
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv			
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv			
	ङ कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ			
	क्र.सं.	प्रकृति		राशि	
	1	परिवार पेंशन			
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क+ 2कii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ + 2च क्रम सं.1 से संबंधित)	2			
	कi लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली, दौड़, कार्ड खेल आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	2कi			
	कii धारा 115खख के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय	2कii			
	ख धारा 115खखङ के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)	2ख			
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi			
	ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii			
	iii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii			

			iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv			
			v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv			
			vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi			
			ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष			2ग	
				क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
				(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
			घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय /घसे घxiख का योग)			2घ	
			i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i), धारा 115 क(1) (क) (अ) के परंतुक के सिवाय अधीन प्रभार्य	घi			
			ik	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी यूनिट, विदेशी कंपनी जो धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य, प्राप्त हुआ लाभांश	घik			
			ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्पन्न से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज	घii			
			iii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	घiii			
			iv	धारा 194ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकक) @5% के अधीन प्रभार्य	घiv			
			v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घv			
			vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घvi			
			vii	यूटीआई की यूनिटों या धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधियों जिन्हें विदेशी मुद्रा में क्रय किया गया है, से आय - धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	घvii			
			viii	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य	घviii			
			ix	बंधपत्रों से ब्याज या लाभांश के माध्यम से या अनिवारियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से आय - धारा 115कग के अधीन प्रभार्य	घix			
			x	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवारी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	घx			
			xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के माध्यम से आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घxi			
			xii	प्रतिभूतियों के संबंध में किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न) - धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य	घxii			
			xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ आई आई द्वारा प्राप्त ब्याज के माध्यम से आय परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घxiii			
			xiv	अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर - धारा 115खकक के अधीन प्रभार्य	घxiv			
			xv	कतिपय मामलों में अनाम दान - धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घxv			
			xvi	धारा 115क(1)(अ)(iiएए) के अधीन प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घxvi			
			xvii	विकसित और भारत में रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व के माध्यम से आय - धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य	घxvii			
			xviii	कार्बन क्रेडिट के अंतरण के माध्यम से आय - धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य	घxviii			
			xix	धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा एफ आई आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	घxix			

				xx	अनिवासी भारतीय की विनिधान आय-115ड के अधीन प्रभार्य				घxx						
			ड	विशेष दरों पर प्रभार्य दावा की गई अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति की पास थ्रु आय (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)										2ड	
			च	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम, जो डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य दावा की गई है (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) का योग)										2च	
				क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 1कi, 1कiii, 1ख और 2 जिसमें सम्मिलित किया जाना है	देश का नाम और कूट	डीटीएए की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
				I											
				II											
3	धारा 57 के अधीन कटौतियाँ (2क, 2ख, 2घ, 2ड एवं 2च के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)														
				क(i)	व्यय/कटौतीयाँ “ग”में इंदराज के अलावा (पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त मामलों में)						3क(i)				
				क(ii)	धारा 57(iiक) के अधीन कटौती (केवल परिवार पेंशन के मामले में)						3क(ii)				
				ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध जब “अनुसूचीओ.एस” की 1 ग में आय दी गई हो)						3ख				
				ग	धारा 57(1)के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1क(i) और/या 1क(ii) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज						3ग				
				गi	धारा 57(1) के अधीन योग्य ब्याज व्यय – कलित राशि						3गi				
				घ	योग						3घ				
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम													4	
5	धारा 59के अधीन कर से प्रभार्य लाभ													5	
5क	धारा89क के अधीन कराधान से राहत के लिए आय का दावा													5क	
6	साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय [1 (डीटीएए अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) – 3 + 4 + 5 - 5क] यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 4i को अंक ले जाए													6	

7	अन्यस्रोतों से आय(दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भित्र) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय							
	क	प्राप्तियां	8क					
	ख	केवल 8क में प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख+ 8ग+ 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रनीत हानियों 10xvi के अंक प्रविष्ट करें)					8ङ	
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय(7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्यलिखें)						9	
10	प्रौद्भूत / अन्य स्रोतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना							
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16 12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुडदौड़ खेल, जुआ , सट्टेबाजी से जीत पर आय						
	2	धारा 115खखज के अधीन ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय						
	3क	क्रम सं. 1ए(i) में संदर्भित लाभार्थ पर आय						

	3ख	क्रम सं. 1ए(iii) में संदर्भित लाभांश पर आय						
	4	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन धारा 115क(1)(ए)(i) के अधीन 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	5	धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (जिसके अंतर्गत पीटीआई आय भी सम्मिलित है)						
	6	धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय						
	7	धारा 115कगक (1)(ए) के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	9	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय किंतु धारा 89 के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा नहीं						
	10	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभाय लाभांश आय						
टिप्पण▶		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें						

अनुसूची सी.वाई.एल.ए		चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय केव्यारे				
क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़ दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची जत का 3)	(अनुसूची खत की मददका 2v)	(अनुसूची णद का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची ध का 6)				
iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची गृहसंपत्तिका 3)				
iv	कारवार से आय (विनिर्दिष्ट कारवार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची खतका 37)				
v	सट्टाबाजी से आय	(अनुसूची सीजी की मददका 3 ii)				
vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीजी की मददका 3 iii)	-			
vii	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 11ii)				

viiख	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11iii)				
Viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11iv)				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11iv)				
X	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11vi)				
xiक	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11vii)				
xiख	12.5 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11viii)				
xii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11ix)				
xiii	डीटीए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड' का 11x)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओएस का 6)				
xv	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ड)				
Xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस का 2च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरा करने के पश्चात शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची बी.एफ.एल.ए पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे							
अग्रणीत की गई हानि का समायोजन	क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्त्रोत	अनुसूची गमठक 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4)के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5
	i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
	ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख/च गृह संपत्तिहानि)			
	iii	कारबार आय(सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख/च कारबार हानि सट्टेबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि) (टिप्पण : ख/च हानि का मुजरा धारा 44खख के अधीन आय के सिवाय कारबार आय के लिए प्रतिबद्ध होगा।)	(टिप्पण : ख/च हानि का मुजरा धारा 44खख के अधीन आय के सिवाय कारबार आय के लिए प्रतिबद्ध होगा।)		
	iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v)	(ख/च सामान्य कारबार या सट्टेबाजी से हानि)			
	v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi)	(ख/च या विनिर्दिष्ट कारबार से हानि)			
	vi क	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची गमठक का 5 viक)	(ख/च अल्पकालिक पूंजी हानि)			

[illegible]

viii	2017-18										
ix	2018-19										
x	2019-20										
xi	2020-21										
xii	2021-22										
xiii	2022-23										
xiv	2023-24										
xv	2024-25										
xvi	पूर्वतन् वर्ष में हानि का कुल										
xvi i	अनुसूची बीएफएलए अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन	(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)		(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)				(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)	
xvi ii	2025-26 (चालू वर्ष हानियों को अग्रणीत)	(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)		(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची वीपी का ख42, यदि वे)	(अनुसूची वीपी का ग48, यदि वे)	(2xii + 3xii + 4xii + 5xi + 6xii) अनुसूची सीजी के मद ड)	(7xii + 8xii + 9xi + 10xii) अनुसूची सीजी के मद ड)		(अनुसूची ओएस का 8इयदि-वीई)	
xix	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि										

अनुसूची यू डी धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	धारा 115ख कग(1क) के अधीन करधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आईसीडीएस		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव			
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	लाभ में वृद्धि(रू.)	लाभ में कमी(रू.)	कुल प्रभाव (रू.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I	लेखा नीति				
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पथकतः रिपोर्ट				

	किया गया है)			
III	संनिर्माण संविदाएं			
IV	राजस्व मान्यता			
V	मूर्त नियत आस्तियां			
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन			
VII	सरकारी अनुदान			
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क-णछ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)			
IX	उधार लेने की लागत			
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था			
XI	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X			

अनुसूची- 10कक		धारा 10कककेअधीनकटौती							
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती								
	क्र.स	उपक्रम	वह निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन/ सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है		क्र.स	कटौती की रकम			
	क	उपक्रम संख्या 1			क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंधक कीम द 17)			
	ख	उपक्रम संख्या 2			ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंधक की म द 17)			
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)						ग	
अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे							
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदारदान							
		आदाता का नाम और पता			आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
						नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान	
		i							
		ii							
		iii	कुल						
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान							
		आदाता का नाम और पता			आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
						नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान	
		i							
		ii							
		iii	कुल						
	ग	अर्हता सीमा के अधधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान							
		आदाता का नाम और पता			आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
						नकद में दान	अन्य रूप में रकम	कुल दान	
		i							
		ii							
		iii	कुल						
	घ	अर्हता सीमा के अधधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान							
		आदाता का नाम और पता			आदाता का पैना	ए.आर.एन (दान संदर्भ संख्या)	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
							नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान

		i						
		ii						
		iii						

80छछक अनुसूची (फर्म के भागीदार के मामले में जो फर्म से केवल लाभ व्युत्पन्न करता हो)			वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानके ब्यौरे					
क्र. सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए पात्र रकम	
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान		
i								
ii								
	कुल संदान							

अनुसूची 80छछग		राजनैतिक दलों द्वारा किए गए अभिदाय का ब्यौरा						
क्रम सं.	तारीख	अभिदाय की रकम			अभिदाय योग्य रकम	यूपीआई अंतरण संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस संव्यवहार संदर्भ संख्या	या चेक के लिए	बैंक का आई एफ एस कोड
		नकद में अभिदाय	अन्य माध्यम में अभिदाय	कुल अभिदाय				
i								
	(पंक्ति जोड़े)							
	कुल अभिदाय							

अनुसूची 80घघ		आश्रित का चिकित्सकीय उपचार जो नियोग्य व्यक्ति हैं, सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती का ब्यौरा						
नियोग्यता की प्रकृति	आश्रित का प्रकार	आश्रित का पैन	आश्रित का आधार	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क(2)(ii) के अनुसार प्ररूप का स्वीकृत संख्या (यदि उपलब्ध हो)	यूडीआईडी संख्या (यदि उपलब्ध हो)	रकम
1. नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति 2. गंभीर नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति	1. पति या पत्नी 2. पुत्र 3. पुत्री 4. पिता 5. माता 6. भाई 7. बहन 8. एचयूएफ का सदस्य (एचयूएफ की दशा में)							

अनुसूची 80प		अयोग्य व्यक्ति की दशा में कटौती का ब्यौरा			
नियोग्यता की प्रकृति	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क(2)(iii) के अनुसार प्ररूप का स्वीकृत संख्या (यदि उपलब्ध हो)	यूडीआईडी संख्या(यदि उपलब्ध हो)	रकम
1. स्वयं से नियोग्यता 2. स्वयं की गंभीर अयोग्यता					

अनुसूची द. क		अनुसंधान संगमों को दान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(ii) या 35 (1) (ii)क) या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतीयां दान की पात्र रकम]				
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम			दान की पात्र रकम
			नकद दान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	

	i					
	ii					
	iii	कुल				

अनुसूची- 80इक		धारा 80इक के अधीन कटौतियां			
क	धारा 80इक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियों (विद्युत)	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ख	धारा 80इक के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 + क2)				ख

अनुसूची-80-इख		धारा 80इख के अधीन कटौतियां			
धारा 80इख के अधीन कटौतियां	क	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियाँ [धारा 80इख(9)]	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
	ख	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं [धारा 80इख(10)]	ख 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
			ख 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
	ग	ऐसे उपक्रमों, जो कि फलों, सब्जियों, मांस, मांस उत्पादों, पोल्ट्री, डेयरी उत्पादों, समुद्री खाद्य के प्रसंस्करण संरक्षण एवं पैकेजिंग में संलग्न है की दशा में कटौतियाँ [धारा 80- इख (11क)]	ग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
			ग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
	घ	खाद्यानों,उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती [धारा 80इख(11 क)]	घ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
			घ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
ङ	धारा 80इख के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 सेघ2 कायोग)				ङ

अनुसूची-80-इड			धारा 80इड के अधीन कटौतियाँ		
धारा 80इड के अधीन कटौतियाँ	घ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ			
	कक असम	कक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कख अरुणचल प्रदेश	कख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कग मणिपुर	कग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कघ मिजोरम	कघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कङ मेघालय	कङ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कङ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कच नागालैंड	कच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कच2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कछ त्रिपुरा	कछ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कछ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	

	कज	पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियाँ (कक 1 से कछ 2 का योग)	कज	
ख	धारा 80	झड़. के अधीन कुल कटौतियाँ (कज)	ख	

अनुसूची- VI क		अध्याय 6 क के अधीन कटौतियाँ			
1	भाग ख-कतिपय संदायों की बावत कटौती				
क	80ग (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		ख	80गगग(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	80गगघ(1) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		घ	80गगघ(1ख) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	80गगघ(2) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		च	80घ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	80घघ		ज	80घघख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	80ङ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		ञ	80ङ-ङ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	80ङ-ङक(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		ठ	80ङ-ङख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	80छ		ढ	80छछ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	
	ण	80छछक	णा	80छछग	
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से णा का योग)					1
2	भाग ग-कतिपय आय की बावत कटौती				
क	त	80- झक	(अनुसूची 80 झककाख)		
	थ	80- झकख			
	द	80- झख	(अनुसूची 80 झखकाङ)		
	ध	80- झखक			
	न	80झङ	(अनुसूची 80झङ का ड)	प	80जजक
	प	80जजक			
	फ	80जजकक	प्रपत्र 10 घक में अनुसूची में क्रम सं. 5I(Aiv) + 5II	ब	80थथक (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)
	ब	80 थथख			
भ	80 ददख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)				
भाग ग के अधीन कुल कटौती (त से भ का योग)					2
3	भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती				
i	80 ननक		ii	80ननख	
iii	80प		iv	80गगज	
v	ई फाइलिंग यूटिलिटी के अनुसार कोई अन्य कटौती (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)				

	भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (i, ii, iii, iv और v का योग)	3	
4	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियाँ (1+2+3 का योग)	4	

अनुसूची-अनुकल्पिक निम्नतर कर		धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना	
कुल कटौतियाँ	1	भाग-ख-कुल आय के मद 14 के अनुसार कुल आय	1
	2	धारा 115जग(2)के अनुसार समायोजन	
	क	शीर्ष ई के अधीन "कतिपय आय की बाबत कटौतियों" अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क
	ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख
	ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग
	घ	कुल समायोजन(2क + 2ख + 2ग)	2घ
	3	धारा 115जग(1)के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2घ)	3
	3क	धारा 115जग(1)के अधीन आई एफ एस सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	3क
	3ख	धारा 115जग(1)के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख
	4	धारा 115जग(1)के अधीन देय कर [(9% of (3क) + 18.5% of (3ख)) (अगर 3 बड़ा हो. 20 लाख रू. से)	4

अनुसूची-अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा		धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना					
1	निर्धारण वर्ष 2025-26 (भाग-ख-टीटीआई कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग केअधीन कर					1	
2	निर्धारण वर्ष 2025-26 (भाग-ख- टीटीआई कुल कर आय का 2आई) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर					2	
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1)को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]					3	
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतम कर से अधिक नहीं हो सकेगा)						
	क्र.सं	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
			सकल(ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा(ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
	I	2013-14					
	li	2014-15					
	lii	2015-16					
	lv	2016-17					
	V	2017-18					
	Vi	2018-19					
	Vii	2019-20					
	Viii	2020-21					
	lx	2021-22					
	X	2022-23					
	xi	2023-24					
	xii	2024-25					
xiii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2, 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)						
xiv	योग						
5	वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मदसं. 4(ग) का कुल					5	
6	पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल					6	

अनुसूची – विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय		विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निधारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल				
क्रमसं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या	नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है	
1						
2						
3						

अनुसूची विशेषदर						
क्रमसं.	धारा	☑	विशेषदर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)	
1	111- पूर्व के वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष	☐		(अनुसूची ओ.एस.का 2iii)	(अनुसूची ओ.एस.का 2iv)	
2क	111क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनिटों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत्त है) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)		
2ख	111क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनिटों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत्त है) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5viख का भाग)		
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहा एस.टी.सी.जी संदत्त नहीं है)	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)		
4क	112(1) परन्तुक (सूचीकरण के साथ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो और अनुसूची गछ के क्रम सं. ख3(i)(ज) को हिसाब में लेते हुए उस पर कर, यदि कोई हो]	☐	20 [अनुसूची सीजी के ख4(i)(ज) द्वारा घटाय गया]	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi का भाग)		
4ख	112(1) परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग)		
5क	112(1)(ग)(iii) (गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी या सूचीबद्ध डिबेंचरों से भिन्न) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक का भाग)		
5ख	112(1)(ग)(iii) (गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग)		
6क	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक का भाग)		
6ख	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]		12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग)		
7क	115कग (विदेशी करसी में क्रम किए गए बंधपत्रों या जी.डी.पी आर से अनिवासी की आय	☐	10	(अनुसूचि ण ध के 2घix का भाग)		
7ख	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	☐	10	(अनुसूचि ण ध के 2घxxi का भाग)		
8क	115कगक (जी.डी.आर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक का भाग)		
8ख	115कगक (जी.डी.आर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग)		
9	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)		
10क	115ड (विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक का भाग)		
10ख	115ड (विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख का भाग)		
11क	112(अन्य पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग)		

11ख	112(अन्य पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो] और और अनुसूची गछ के क्रम सं. ख3(i)(ज) को हिसाब में लेते हुए उस पर कर, यदि कोई हो	□	12.5 [अनुसूची सीजी के ख1डii द्वारा घटाय गया]	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख काभाग)	
12क	112क या धारा115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत्त है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया, जैसा लागू हो]	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक)	
12ख	112क या धारा115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत्त है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया, जैसा लागू हो]	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख काभाग)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एस.टी.सी.जी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix काभाग)	
14	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एल.टी.सी.जी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xii काभाग)	
15क	115खख (लाटरी,वर्गपहेली,दौड़,खेलआदिसेजीत)	□	30	(अनुसूची ओ एस के 2क काभाग)	
15ख	115खखख(ऑनलाईन गेम में जीत)	□	30	(अनुसूची ओ एस के 2क काभाग)	
16	115खखड(धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन)	□	60	(अनुसूची ओ एस के 2ख काभाग)	
17	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)	□			
	क कारबार या वृत्ति से आय	□	30	(अनुसूची बीपी का क3छ)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय	□	30	(अनुसूची सीजी का ग2)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	□			
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बीपी का 3ड)	
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ एस का 2घ)	
19	115खखछ(कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)	□			
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	□	10	(अनुसूची बीपी का 3च)	
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	□	10	(अनुसूची ओ एस का 2घ)	
20	115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयल्टी सेअनिवासीकीआय)	□	10	(अनुसूची ण.दके2घ काभाग)	
21	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय	□		(अनुसूची बीईएलए का 5भम काभाग)	
22क	धारा 111क या 111क के अलावा 15% की दर से प्रभार्य लघुकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति के रूप में आय से गुजरना	□	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vक काभाग)	
22ख	धारा 111क या 111क के अलावा 20% की दर से प्रभार्य लघुकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति के रूप में आय से गुजरना	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vख काभाग)	
23	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर होगा30% की दर पर प्रभार्य	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii काभाग)	
24क	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अधीन 10% की दर से प्रभार्य	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xक काभाग)	
24ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख काभाग)	
25क	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अधीन 10% की दर से प्रभार्य	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ixक काभाग)	
25ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xख काभाग)	
26	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 20% की दर पर प्रभार्य होगा	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi काभाग)	
27	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2छ)	
28	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटीमें ड्राप-डाउन दिया जाएगा)	□		(अनुसूची ओ एस का 2ड)	
			योग		

अनुसूची-आईएफ		उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिन में आप भागीदार हैं							
फर्म जिनमें भागीदार है	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं								
		फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्यांक	क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए दायी है (हां या नहीं)	क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां/नहीं)	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम	31 मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष	
							i	ii	
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6	योग							

अनुसूची-छूट प्राप्त आय			छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्य न हो)								
	1	ब्याज से आय						1			
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i				
		ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii				
		iii	पूर्व आयकर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि				iii				
		iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बीपी की क्र.सं. 38)				iv				
		v	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)						2		
		vi	5लाख रू. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथकतया ब्यौरे भरें)								
		क	जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है								
		ख	एकड़ मे कृषि भूमि की पैमाइश								
			ग	क्या कृषि भूमि स्वामित्व मे है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)							
			घ	क्या कृषि भूमि सिचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)							
	छूट प्राप्त आय	3	अन्य छूट प्राप्त आय (नाबालिग बच्चे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						3		
4		डीटीए के अनुसार आय जो कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है									
		क्रम. सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टी आर सी अभिप्रमाणित किया गया है (हां/नहीं)			
		I									
		II									
		III	डीटीए से कुल आय जो कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है						4		
5		कोई और आय कर दावाकृत प्रभार्य नहीं हैं, (अनुसूची पीटीआई)						5			
6	योग (1+2+3+4+5)						6				

अनुसूचीपीटीआई		धारा 115प, धारा 115पक और धारा 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे								
पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा धारा 115प/ 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि(7-8=9)	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(ड्रॉप-डाउन			i	गृहसंपत्ति				

		दिया जाए)			ii	पूँजी अभिलाभ					
						क	अल्पकालिक अवधि				
						का	धारा 111क				
						काii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खा	धारा 112क				
						खाii	धारा 112क के अलावा अन्य				
					iii	अन्य स्त्रोत					
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख)के अधीन				
						ख	धाराके अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
2.					i	गृहसंपत्ति					
					ii	पूँजी अभिलाभ					
						क	अल्पकालिक अवधि				
						का	धारा 111क				
						काii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खा	धारा 112क				
						खाii	धारा 112क के अलावा अन्य				
					iii	अन्य स्त्रोत					
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख)के अधीन				
						ख	धाराके अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
टिप्पण▶		इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।									

अनुसूची टी.पी.एस.ए

ई फाईलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार- धारा 92(2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण

धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क)) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है						
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक का दर पर देय होगा					
		ख	“क” पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
	3	भुगतान किए गए कर						
	4	निवल देय कर (2घ-3)						
	5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक और शाखा का नाम						
	7	बीएसआर कोड						
8	चालान का क्रम संख्या							
9	जमा की गई राशि							

अनुसूची-आयकेविदेशीस्रोत				भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)						
भारत से बाहर आय और कर राहत	क्र.सं.	देश का कोड(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा को भरा जाए)	करदाता की पहचान संख्या	क्र.सं.	आयकाशीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख-टी आई में सम्मिलित	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डीटी ए ए का सुसंगत अनुच्छेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है
					(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)
	1			i	वेतन					
				ii	गृहसंपत्ति					
				iii	कारबार या वृत्ति					
				iv	पूजी अभिलाभ					
				v	अन्य स्रोत					
				योग						
	2			i	वेतन					
				ii	गृहसंपत्ति					
iii				कारबार या वृत्ति						
iv				पूजी अभिलाभ						
v				अन्य स्रोत						
योग										
टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।										

अनुसूची- टि.आर

भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावाकृत कर राहत सार का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए करा राहत

1

दावाकृत कर राहत के ब्यौरे

देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत के बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग))	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड) का योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 को विनिर्दिष्ट करें)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
			</	

[illegible]

(ii)												
अ3	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत मूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख		संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		
(i)												
(ii)												
ख	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु.में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2 क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)											
क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु.में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			

										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदा प्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु.में)	संपत्ति से प्रोद भूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											
क्र. सं.	संस्था का नाम जिस में खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम और कोड	जिप कोड	खाता धारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु.में)	कृपया आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7)हां में है,तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक*।											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8)हां में है,तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहाँ अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(i)									
(ii)									
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा (i) जो उपरोक्त मद क से च में सम्मिलित नहीं ; और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय में सम्मिलित नहीं की गई है								
क्र.सं.	देशकानामऔरकोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6)हां में है,तोइस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									
टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यक्ति होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्ववर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई									

अनुसूची 5क पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी					
पति या पत्नी का नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक / आधार					
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 44कख या किसी अन्य उपबंध (इस अधिनियम की धारा 92ड या किसी अन्य अधिनियम के अधीन से भिन्न) के अधीन लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के अधीन धारा 44 कख या किसी अन्य उपबंध (इस अधिनियम की धारा 92ड या किसी अन्य अधिनियम के अधीन से भिन्न) के अधीन लेखा-परीक्षण आवश्यक					
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 92 ड के अधीन लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के अधीन धारा 92 ड के अधीन लेखा-परीक्षण आवश्यक					
आय के शीर्ष		शीर्ष के अधीन प्राप्त प्राप्तियां	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम	(ii) की आय पर कटौती किए गए टीडीएस की रकम पर	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित टीडीएस
(i)		(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृहसंपत्ति				
2	कारबार या वृत्ति				
3	पूँजीअभिलाभ				
4	अन्य स्रोत				
5	योग				

अनुसूची क.ठ		वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अधीन से भिन्न)(उस दशा में जहां कुल आय 1 करोड़ रु0 से अधिक है, लागू होती है)			
आस्ति और दायित्व के विवरण	क	स्थावर आस्ति का ब्यौरा			
	क्रम सं0	विवरण	पता	पिनकोड	रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	ख	जंगम आस्ति का ब्यौरा			
	क्रम सं0	विवरण			रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)			(3)
	(i)	आभूषण, बुलियन आदि			
	(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति			
	(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान			
	(iv)	वित्तीय आस्ति			रकम (लागत) रु0 में
	(क)	बैंक (जिसके अधीन सभी जमा राशियां)			
	(ख)	शेयर और प्रतिभूतियां			

	(ग)	बीमा पॉलिसी		
	(घ)	ऋण और दिए गया अग्रिम धन		
	(ङ)	हाथ नकदी		
	ग	भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज		
	क्रम सं०	फर्मों / एओपी का नाम और पता	फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या	लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारित का विनिवेश
	(1)	(2)	(3)	(4)
	(i)			
	(ii)			
घ	आस्तियों (क +ख +ग) के संबंध में दायित्व			
टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।				

अनुसूचि जी.एस.टी		जी.एस.टी के लिए रिपोर्टित आवर्त/ सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना	
जी.एस.टी का ब्योरा	क्रम. सं.	जी.एस.टी आई एन संख्या	फाईल की गई जी.एस.टी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण		कृपया प्रत्येक जी.एस.टी.आई.एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।	

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन			कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-इकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते					
विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?			अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि स्तंभ (3-7)	
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i)पूर्णतया (ii)आंशिक (iii)नहीं बेचे गए स्तंभ 3के ऐसे बिक्री का कर गुण का तारीख व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)	नियोक्ता के कर्मों होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आर्बिट्रित या हस्तांतरित किया ? o हां o नहीं यदि हां, तारीख बताएं	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आर्बिट्रित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तारीख बताएं		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष 2026-27में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26में देय)		
	3	2023-24	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	4	2024-25						
	5	2025-26						

भाग-ख

भाग ख-कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	वेतन (अनुसूची 6 का)	1
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृहसंपत्ति का 3) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ	
	i	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ.का.क37)	3i
	ii	सट्टे के कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (ii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची गचठ से अंक लें)	3ii
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (iii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii
	iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (अनुसूचि ख.त. के 3ड, 3च और 3छ)	3iv
	V	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें)	3v
	4	पूंजीअभिलाभ	
	क	अल्पकालिक	
	i	अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11ii)	क i
	ख	अल्पकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11iii)	क ख
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11iv)	क ii
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड का 11v)	क iii
	iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि सीजी के मद ड का 11vi)	क iv
	v	अल्पकालिक योग (क i + क ख + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क v
	ख	दीर्घकालिक	
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11vii)	ख i
	ख	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 12.5% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11viii)	ख ख
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूची सीजी की मद ड का 11ix)	ख ii
	iii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 11x)	ख iii
	iv	दीर्घकालिक योग (ख i + ख ख + ख ii + ख iii) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	4ख iv
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (4क v + 4ख iv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)	4ग
	घ	धारा 115खख के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)	4घ
	ङ	कुल पूंजीगत अभिलाभ (4ख + 4घ)	4ङ
	5	अन्य स्रोतों से आय	
	क	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ग घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	5 क
	ख	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय (अनुसूची गध का 2)	5 ख
	ग	घुडदोड के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूची गध का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 ग
	घ	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 घ
	6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3v + 4ङ + 5 घ)	6
	7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गमठक चालू वर्ष की हानि के 2xvii, 3xvii और 4xvii कायोग)	7
	8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात बकाया (6 - 7) (अनुसूची सीवाईएलएके स्तंभ 5 के क्रम संख्या (ii) से (xv) का योग + 5ख + 3iv)	8
	9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रनीत हानियां (अनुसूची खचठक के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)	9

10	सकल कुल आय(8-9) (और अनुसूची बीएफएलए के स्तंभ 5 के क्रम संख्या (i) से (xiv) का योग+ 5ख + 3iv)	10	
11	धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है	11	
12	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ		
क	अनुसूची 6क का भाग ख,गक और घ [अनुसूची 6कका (1+3) और (बीएफएलए का i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + viii5 + xi5 + xii5)तक सीमित]	12क	
ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और बीएफएलए का iii5 तक सीमित]	12ख	
ग	कुल(12क + 12ख)(10-11) तक सीमित)	12ग	
13	धारा 10 कक के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 कक का ग)	13	
14	कुल आय (10 -12ग -13)	14	
15	आय जो 14 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग)	15	
16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/ कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 3)	16	
17	कुल आय (14-15+16)(लागू होगा यदि(14-15)अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)	17	
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ(अनुसूची गचठ की पंक्ति xvi का योग)	18	
19	धारा 115जग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)	19	

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना						
कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित कर का 4)			1क		
		ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)			1 ख		
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) 3 पर			1 ग		
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर(ह)उ पर(1क +1ख +1 ग)			1 घ		
	2	कुल आय पर संदेय कर						
		क	भाग ख-टी आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क				
		ख	विशेष दरों पर कर(अनुसूची दझ का (ii) का योग)	2ख				
		ग	कृषि आय पर रिबेट (लागू होगा यदि (भाग ख-टी आई कुल आय का(14-15)अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग				
		घ	कुल आय पर संदेय कर(2क + 2ख- 2ग)			2घ		
		ड	धारा 87क के अधीन रिबेट			2ड		
		च	रिबेट के पश्चात संदेय कर (2घ - 2 ड)			2च		
		छ	अधिभार	उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार	2छ		
	i	अनुसूची धझ के 17(ii) का @25 प्रतिशत	2छi	iक				
	ii	10% या 15% पर लागू(निर्देश संदर्भ)	2छ ii	iiक				
	iii	अनुसूची एस.आई का 2च- 17(ii) उपर्युक्त 2छ(ii) में संदर्भित आय पर कर)	2छ iii					

			iv कुल (i + ii)	2 छiv	
	ज	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छiii)		2 ज	
	झ	कुल कर दायित्व (2 च + 2 छiv + 2 ज)		2 झ	
	3	कुल कर संदेय (1 घ और 2i से उच्चतर)		3	
	3क	धारा 17(2)(vi) में संदर्भित 80 आईएसी(3-3ख) अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर		3क	
	3ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) (vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर		3ख	
	4	पूर्वतर वर्ष में कर संदत्त की धारा 115 जघ के अधीन जमा (लागू यदि 2i घ से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)		4	
	5	धारा 115 जघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3क - 4)		5	
	6	कर राहत			
	क	धारा 89 (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)	6क		
	ख	धारा 90 या धारा 90क (अनुसूची टीआर का 2)	6ख		
	ग	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)	6ग		
	घ	कुल (6क + 6ख + 6ग)		6घ	
	7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) (शून्य भरे यदि नकारात्मक है)		7	
	8	ब्याज और फीस देय			
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क		
	ख	अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख		
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग		
	घ	आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ		
	ड	कुल ब्याज और फीस देय (8क + 8ख + 8ग + 8घ)		8ड	
	9	औसत दायित्व (7 + 8ड)		9	
संदत्त कर	10	संदत्त कर			
	क	अग्रिम कर (17 क के स्तंभ 5 से)	10क		
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (18ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल)	10ख		
	ग	टी.सी.एस (17घ का स्तंभ 7(i))	10ग		
	घ	स्वतः निर्धारण कर (17क स्तंभ 5 से)	10घ		
	ड	संदत्त कुल कर (10क + 10ख + 10ग + 10घ)		10ड	

11	संदेय रकम (यदि 10डू से अधिक है तो 9 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)										11														
12	प्रतिदाय (यदि 10डू 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा)										12														
13	क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं)										हां या नहीं का चयन करें														
i. क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)																									
बैंक खाता	क्रमसं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड								बैंककानाम				खातासं.				खाता का प्रकार (ई फाईलिंग द्वारा उपबंधित ड्रापडाउन)				प्रत्यय वापसी के लिए खाता चयन करें			
	i																								
	ii																								
	नोट:																								
	1. सभी बैंक खाते, सिवाय निष्क्रिय खाता के, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी चाहिए।																								
	2. बहुविध खातों का चयन करने के मामले में, प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के पश्चात् विधिमान्य खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।																								
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं																								
	ii. ख) गैर-निवासी, उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं																								
		क्रम सं.				स्विफ्ट कोड				बैंक का नाम				स्थान का देश				आईबीएएन							
		1.																							
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय										□हां□नहीं														
(i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अधीन किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।																									
(ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या																									
(iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)																									
15	यदि विवरणीकर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:																								
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.										कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम										कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर					
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम																				16					
17	अनुसूची-आयकर																								
क		आय-करकेअग्रिमकर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे																							
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड								निक्षेप की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)								चालान का क्रम सं.				रकम(रू.)			
	(1)	(2)								(3)								(4)				(5)			
	i																								
	ii																								
	iii																								
	iv																								

			टिप्पण ▶		भाग ख-टीटी आई की क्रम सं. 10क और 10घ में अग्रिम करऔर स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।										
	ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों)द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]													
	वेतन सेस्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या(टैन)						नियोजक का नाम			वेतन के अधीन प्रभार्य आय		कटौती किया गया कुल कर	
(1)		(2)						(3)			(4)		(5)		
i															
ii															
टिप्पण ▶		कृपया भाग ख-टीटीआई के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का योग प्रविष्ट करें।													

ग स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टी.डी.एस) प्ररूप 16 कया प्ररूप 16ख/16ग/16घ/ 16ङ के अनुसार]													
क्रम सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.(धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 37 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार संख्या(यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	वह धारा जिसके अधीन टीडीएस की कटौती जाती है	कटौतीकर्ता का टैन/किरारदार या क्रेता का पैन/आधार संख्या	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस	मौजूदा वित्त वर्ष का टी.डी.एस (वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टी.डी.एस कटौती)		इस वर्ष जमा टी.डी.एस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194ड के अधीन काटा गया।		प्रस्तावित समान रसीद/आहरण	टी.डी.एस प्रत्यय अग्रणीत किया जा रहा		
					वित्तीय वर्ष जिस में कटौती की गई	आगे लाया गया टी.डी.एस	स्वयं द्वारा कटौती	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 37ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों दावा	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 37 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								आय	टी.डी.एस	आय	टी.डी.एस	पैन/आधार संख्या	
i													
टिप्पण► कृपया स्तंभ 9 का कुल भाग - ख -टी टी आई के 10 ख में प्रविष्ट करें।													
टिप्पण ►		कृपया भाग ख-टीटीआई के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का योग प्रविष्ट करें।											

	घ	स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)										
		क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित	संग्राहक का कर कटौती	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि)	अग्रणीत किया गया अदावकृत टी.सी.एस	चालू वित्तीय वर्ष का टी.सी.एस	इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस	टी.सी.एस जमा आगे लाया गया			

सत्यापन			
<p>मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।</p> <p>मैं यह और घोषणा करता / करती हूँ कि मैं..... (ड्राप डाउन उपबंधित किया गया है) की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ / रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूँ (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)</p> <p>मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)</p>			
तारीख		स्थान	हस्ताक्षर "":

[फा0सं0 370142/14/2025-टीपीएल]

सुरवेन्दु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा0कानि0 271(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2025 द्वारा किया गया।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2025

No. 41/2025

G.S.R. 279(E).—In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely: -

- (1) These rules may be called the Income-tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2025;
- (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025;
- In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in Appendix II, for FORM ITR-3, the following FORM shall be substituted, namely: —

FORM	ITR-3	INDIAN INCOME TAX RETURN (For individuals and HUFs having income from profits and gains of business or profession) (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Please refer instructions)	Assessment Year					
			2	0	2	5	-	2

Part A-GEN		GENERAL									
PERSONAL INFORMATION	(A1) First name	(A2) Middle name	(A3) Last name	(A4) PAN							
	(A5) Flat/Door/Block No.	(A6) Name of Premises/Building/Village		(A14) Status (Tick) <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF							
	(A7) Road/Street/Post Office	(A8) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)		(A15) Date of Commencement of Business (DD/MM/YYYY)							
	(A9) Area/locality	(A16) Aadhaar Number (12 digits)									
	(A10) Town/City/District	(A11) State		(A12) PIN code/ZIP code							
	(A17) Residential/Office Phone Number with STD code/Mobile No. 1		(A13) Country		Mobile No. 2						
	(A18) Email Address-1 (self)		Email Address-2								
	(A19) (ai)	Due Date for filing return of income [Dropdown to be provided] :									
	(A19) (a)	1. 31st July 2. 31st October 3. 30th November									
	FILING STATUS	(A19) (aai)	Filed u/s (Tick) [Please see instruction]		o139(1)- On or Before due date, o139(4)- After due date, o139(5)- Revised Return, o92CD-Modified return, o 119(2)(b)- After condonation of delay						
Or Filed in response to notice u/s		o139(9) o142(1), o148, o153C									
Method of opting-out of new tax regime (if applicable) for current AY											
<input type="checkbox"/> by filing 10IEA (having income from business or profession) (Answer set A) <input type="checkbox"/> by exercising the option in the return of income only (form 10IEA is not applicable (Answer set B))											
(Set A) Have you exercised the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime in Form 10-IEA in AY 2024-25? (a) <input type="checkbox"/> Yes (If 'Yes', please furnish date of filing and Acknowledgement number of Form 10-IEA for AY 2024-25) (a1) Do you wish to continue to opt out of New Tax Regime for current assessment year <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If 'No', please furnish date of filing and Acknowledgement number of Form 10-IEA for AY 2025-26) (b) <input type="checkbox"/> No (Please select 'No', even if Form 10IEA was filed after due date for AY 2024-25) (b1) Do you wish to opt out of New Tax Regime for current assessment year <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If 'Yes', please furnish date of filing and Acknowledgement number of Form 10-IEA for AY 2025-26) (c) <input type="checkbox"/> Not Applicable (Return was filed in ITR 1/ ITR 2 / ITR 3 without requirement of Form 10-IEA) for AY 2024-25 (c1) Do you wish to opt out of New Tax Regime for current assessment year <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If 'Yes', please furnish date of filing and Acknowledgement number of Form 10-IEA for AY 2025-26)											
(Set B) Do you wish to exercise the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime? (default is "No") o Yes o No Note- Option under section 115BAC(6) should be exercised in Form 10IEA on or before the due date for filing return u/s 139(1).											

	(c)	Are you filing return of income under seventh proviso to Section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? – (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]																								
	(ci)	Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)								Amount (Rs) (If Yes)																
	(cii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakh for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)								Amount (Rs) (If Yes)																
	(ciii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)								Amount (Rs) (If Yes)																
	(civ)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)								(Tick) o Yes o No																
	(d)	If revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)											/ /													
	(e)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b), enter Unique Number/Document Identification Number and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement								(unique number)		/ /														
	(f)	Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)	A. Resident	o You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)]																						
				o You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section (6)(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable]																						
				o You are a citizen of India, who left India, for the purpose of employment, as a member of the crew of an Indian ship and were in India for 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years [Explanation 1(a) of section (6)(1)(c)]																						
				<input type="checkbox"/> You are a citizen of India or a person of Indian origin and have come on a visit to India during the previous year and were in India for a) 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years; or b) 120 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years if the total income, other than income from foreign sources, exceeds Rs. 15 lakh. [Explanation 1(b) of section (6)(1)(c)]																						
			B. Resident but not Ordinarily Resident	o You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)]																						
				o You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)]																						
				<input type="checkbox"/> You are a citizen of India or person of Indian origin, who comes on a visit to India, having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh and have been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year [section 6(6)(c)]																						
				<input type="checkbox"/> You are a citizen of India having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of your domicile or residence or any other criteria of similar nature [section 6(6)(d) rws 6(1A)]																						
			C. Non-resident	<input type="checkbox"/> You were a non-resident during the previous year. (i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year - <table border="1"> <tr> <td>S.No.</td> <td>Jurisdiction of residence</td> <td>Taxpayer Identification Number</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> (ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify - <table border="1"> <tr> <td>Total period of stay in India during the previous year (in days)</td> <td>Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>										S.No.	Jurisdiction of residence	Taxpayer Identification Number	1			2			Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)		
S.No.	Jurisdiction of residence	Taxpayer Identification Number																								
1																										
2																										
Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)																									
		Residential Status in India (for HUF) (Tick applicable option)	<input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Resident but not Ordinarily Resident <input type="checkbox"/> Non-resident																							

	(g)	Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)										o Yes		o No			
	(h)	Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If "YES" please fill Schedule 5A)															
	(i)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, furnish following information -															
		(1)	Name of the representative assessee														
		(2)	Capacity of the Representative (drop down to be provided)														
		(3)	Address of the representative assessee														
		(4)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative assessee														
	(j)	Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -															
		Name of Company			Type of Company		PAN		Whether its shares are listed or unlisted			Director Identification Number (DIN)					
	(k)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information															
		Name of Firm							PAN								
	(l)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information in respect of equity shares															
		Name of company		Type of Company		PAN		Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance	
				No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	(m)	In case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No															
	(n)	In the case of non-resident, is there a Significant Economic Presence (SEP) in India (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No please provide details of (a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in Explanation 2A(a) to Section 9(1)(i) (b) number of users in India as referred in Explanation 2A(b) to Section 9(1)(i).															
	(o)	Whether assessee has a unit in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No															
	(p)	Whether you are an FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No															
	(q)	Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 Crores or more)															
		LEI Number		Valid upto date													
AUDIT INFORMATION	a1	Are you liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No															
	a2	Whether assessee is declaring income only under section 44AE/44B/44BB/44AD/44ADA/44BBA/44BBC <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No															
	a2i	If No, whether during the year Total sales/turnover/gross receipts of business is between Rs. 1 crore and Rs. 10crores? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No, turnover does not exceed 1 crore <input type="checkbox"/> No, turnover exceeds 10 crores															
	a2ii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all amounts received including amount received for sales, turnover or gross receipts or on capital account like capital contributions, loans etc. during the previous year, in cash & non-a/c payee cheque/DD, does not exceed five per cent of said amount? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No															
	a2iii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure or on capital account such as asset acquisition, repayment of loans etc., in cash & non-a/c payee cheque/DD during the previous year does not exceed five per cent of the said payment? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No															
	(b)	Are you liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No															
		If Yes is selected at (b), mention by virtue of which of the following conditions:															
	(bi)	Sales, turnover or gross receipts exceeds the limits specified under section 44AB (Tick) <input checked="" type="checkbox"/>															
	(bii)	Assessee falling u/s 44AD/44ADA/44AE/44BB but not offering income on presumptive basis (Tick applicable section) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 44AD, <input type="checkbox"/> 44ADA, <input type="checkbox"/> 44AE, <input type="checkbox"/> 44BB															
	(biii)	Others (Tick) <input checked="" type="checkbox"/>															
	(c)	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If Yes, furnish the following information below															

	(1)	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY) / /													
	(2)	Name of the auditor signing the tax audit report													
	(3)	Membership No. of the auditor													
	(4)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)													
	(5)	Proprietorship/firm registration number													
	(6)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the proprietorship/ firm													
	(7)	Date of report of the audit													
	(8)	Acknowledgement number of the audit report													
	(9)	UDIN													
(di)	Are you liable for Audit u/s 92E? O Yes O No														
	(dii)	If (di) is Yes, Whether the accounts have been audited u/s 92E?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Date of furnishing the audit report? DD/MM/YY	Acknowledgement number										
			(diii) If liable to furnish other audit report, mention whether have you furnished such report. If yes, please provide the details as under: (Please see Instruction)												
	Sl. No.	Section Code	Date (DD/MM/YYYY)	Acknowledgement number											
	(e)	If liable to audit under any Act other than the Income-tax act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?													
	Act and section	(DD/MM/YY)	Act and section	(DD/MM/YY)											

NATURE OF BUSINESS		NATURE OF BUSINESS OR PROFESSION, IF MORE THAN ONE BUSINESS OR PROFESSION INDICATE THE THREE MAIN ACTIVITIES/ PRODUCTS (OTHER THAN THOSE DECLARING INCOME UNDER SECTIONS 44AD, 44ADA AND 44AE)			
S.No.	Code [Please see instruction]	Trade name of the proprietorship, if any		Description	
(i)					
(ii)					
(iii)					

Part A-BS		BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2025 OF THE PROPRIETORY BUSINESS OR PROFESSION (fill items below in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill item 6)			
SOURCES OF FUNDS	1	Proprietor's fund			
	a	Proprietor's capital			a
	b	Reserves and Surplus			
	i	Revaluation Reserve	bi		
	ii	Capital Reserve	bii		
	iii	Statutory Reserve	biii		
	iv	Any other Reserve	biv		
	v	Total (bi + bii + biii + biv)			bv
	c	Total proprietor's fund (a + bv)			1c
	2	Loan funds			
a	Secured loans				

APPLICATION OF FUNDS			i	Foreign Currency Loans	ai					
				ii	Rupee Loans					
				A	From Banks	iiA				
					B	From others			iiB	
					C	Total (iiA + iiB)			iiC	
		iii	Total (ai + iiC)				aiii			
		b	Unsecured loans (including deposits)							
			i	From Banks	bi					
			ii	From others	bii					
			iii	Total (bi + bii)			biii			
		c	Total Loan Funds (aiii + biii)					2c		
		3	Deferred tax liability					3		
		4	Advances							
		i	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act			i				
			From others			ii				
			Total Advances (i + ii)			4iii				
		5	Sources of funds (1c + 2c +3+4iii)					5		
		1	Fixed assets							
		a	Gross: Block			1a				
			Depreciation			1b				
			Net Block (a – b)			1c				
			Capital work-in-progress			1d				
		e	Total (1c + 1d)				1e			
		2	Investments							
		a	Long-term investments							
			i	Government and other Securities - Quoted		ai				
				Government and other Securities – Unquoted		aii				
				Total (ai + aii)		aiii				
		b	Short-term investments							
			i	Equity Shares, including share application money		bi				
				Preference Shares		bii				
				Debentures		biii				
				Total (bi + bii + biii)		biv				
c		Total investments (aiii + biv)				2c				
3		Current assets, loans and advances								
a		Current assets								
		i	Inventories							
			A	Stores/consumables including packing material					iA	
				Raw materials					iB	
				Stock-in-process					iC	
				Finished Goods/Traded Goods					iD	
				Total (iA + iB + iC + iD)						iE
		ii	Sundry Debtors					aii		
		iii	Cash and Bank Balances							
		A	Cash-in-hand		iiiA					

Part A- Manufacturing Account		Manufacturing Account for the financial year 2024-25 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)							
	1	Debits to manufacturing account							
		Opening Inventory							
	A	i	Opening stock of raw-material		i				
		ii	Opening stock of Work in progress		ii				
		iii	Total (i + ii)						Aiii
		B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)					B	
		C	Direct wages					C	

		D Direct expenses (Di + Dii + Diii)			D	
		i	Carriage inward	i		
		ii	Power and fuel	ii		
		iii	Other direct expenses	iii		
		E Factory Overheads				
		I	Indirect wages	i		
		ii	Factory rent and rates	ii		
		iii	Factory Insurance	iii		
		iv	Factory fuel and power	iv		
		v	Factory general expenses	v		
		vi	Depreciation of factory machinery	vi		
		vii	Total (i + ii + iii + iv + v + vi)		Evii	
		F Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii + B + C + D + Evii)			1F	
	2	Closing Stock				
		i	Raw material	2i		
		ii	Work-in-progress	2ii		
		Total (2i + 2ii)			2	
	3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)			3	

**Part A-
Trading
Account**

Trading Account for the financial year 2024-25(fill items 4 to 12 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations				
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)				
		i	Sale of goods	i		
		ii	Sale of services	ii		
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)			
		a		iiia		
		b		iiib		
		c	Total (iiia + iiib)	iiic		
		iv	Total (i + ii + iiic)		Aiv	
		B Gross receipts from Profession			B	
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied				
		i	Union Excise duties	i		
		ii	Service tax	ii		
		iii	VAT/ Sales tax	iii		
		iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv		
		v	State Goods & Services Tax (SGST)	v		
		vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi		
		vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii		
		viii	Any other duty, tax and cess	viii		
		ix	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		Cix	

DEBITS TO TRADING ACCOUNT		D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)		4D	
	5	Closing Stock of Finished Goods			5	
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6	
	7	Opening Stock of Finished Goods			7	
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8	
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9	
		i	Carriage inward	9i		
		ii	Power and fuel	9ii		
		iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	9iii		
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased				
		i	Custom duty	10i		
		ii	Counter veiling duty	10ii		
		iii	Special additional duty	10iii		
		iv	Union excise duty	10iv		
		v	Service tax	10v		
		vi	VAT/ Sales tax	10vi		
		vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii		
		viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii		
		ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix		
		x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x		
		xi	Any other tax, paid or payable	10xi		
		xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii
	11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account			11	
	12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)			12	
	12a	Turnover from Intraday Trading			12a	
	12b	Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account			12b	

Part A-P & L

Profit and Loss Account for the financial year 2024-25 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b)			13	
	14	Other income				
	i	Rent	i			
	ii	Commission	ii			
	iii	Dividend income	iii			
	iv	Interest income	iv			
	v	Profit on sale of fixed assets	v			
	vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi			
	vii	Profit on sale of other investment	vii			
	viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii			
	ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix			
	x	Agricultural income	x			
	xi	Any other income (specify nature and amount)				

DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT			a		xia			
			b		xib			
			C	Total (xia + xib)	xic			
		xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)				14xii	
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)					15	
	16	Freight outward					16	
	17	Consumption of stores and spare parts					17	
	18	Power and fuel					18	
	19	Rents					19	
	20	Repairs to building					20	
	21	Repairs to machinery					21	
	22	Compensation to employees						
		i	Salaries and wages			22i		
		ii	Bonus			22ii		
		iii	Reimbursement of medical expenses			22iii		
		iv	Leave encashment			22iv		
		v	Leave travel benefits			22v		
		vi	Contribution to approved superannuation fund			22vi		
		vii	Contribution to recognised provident fund			22vii		
		viii	Contribution to recognised gratuity fund			22viii		
		ix	Contribution to any other fund			22ix		
		x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred			22x		
		xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)				22xi	
		xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents			xiia	Yes / No	
			If Yes, amount paid to non-residents			xiib		
	23	Insurance						
		i	Medical Insurance			23i		
		ii	Life Insurance			23ii		
		iii	Keyman's Insurance			23iii		
		iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.			23iv		
		v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)				23v	
	24	Workmen and staff welfare expenses					24	
	25	Entertainment					25	
	26	Hospitality					26	
	27	Conference					27	
	28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)					28	
	29	Advertisement					29	
	30	Commission						
		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company			i		
		ii	To others			ii		
		iii	Total (i + ii)			30iii		
	31	Royalty						
		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company			i		

	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			31iii
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			32iii
33	Hotel, boarding and Lodging				33
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				34
35	Foreign travelling expenses				35
36	Conveyance expenses				36
37	Telephone expenses				37
38	Guest House expenses				38
39	Club expenses				39
40	Festival celebration expenses				40
41	Scholarship				41
42	Gift				42
43	Donation				43
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)				
	i	Union excise duty	44i		
	ii	Service tax	44ii		
	iii	VAT/ Sales tax	44iii		
	iv	Cess	44iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix		
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x
45	Audit fee				45
46	Other expenses (specify nature and amount)				
	i		i		
	ii		ii		
	iii	Total (i + ii)			46iii
47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)				
	i1		47 i1		
	i2		47 i2		
	i3		47 i3		
	i	Rows can be added as required Total (47i1+47i2+47i3)	47i		
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)	47ii		
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)	47iii		
	iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)			47iv
48	Provision for bad and doubtful debts				48

	49	Other provisions				49	
	50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47 iv + 48 + 49)]				50	
	51	Interest					
		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
		ii	To others	ii			
		iii	Total (i + ii)			51iii	
	52	Depreciation and amortization				52	
	53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)				53	
PROVISION FOR TAX AND APPROPRIATIONS	54	Provision for current tax				54	
	55	Provision for Deferred Tax				55	
	56	Profit after tax (53 - 54 - 55)				56	
	57	Balance brought forward from previous year				57	
	58	Amount available for appropriation (56 + 57)				58	
	59	Transferred to reserves and surplus				59	
	60	Balance carried to balance sheet in proprietor's account (58 – 59)				60	
PRESUMPTIVE INCOME CASES	61	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD					
		SR.NO	Name of Business	Business code	Description		
		(i)	Gross Turnover or Gross Receipts (iA + iB + iC) (61i limited to Rs.2 Crores, however if 61iB + 61iC is less than or equal to 5% of 61i then the limit under 61i is extended to Rs.3 Crores.)			61i	
			A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date	iA		
			B	Receipts in Cash	iB		
			C	Any mode other than A and B	iC		
		(ii)	Presumptive Income under section 44AD (iiA + iiB)			61ii	
			A	6% of 61iA, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iiA		
			B	8% of (61iB+61iC), or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iiB		
		NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB					
	62	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA					
		SR.NO	Name of Business	Business code	Description		
		(i)	Gross Receipts (62i limited to Rs.50 Lakh, however if 62iB + 62iC is less than or equal to 5% of 62i then limit under 62i is extended to Rs.75 Lakh)			62i	
			A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date	iA		

				B	Receipts in Cash		iB		
				C	Any mode other than A and B		iC		
	(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 62i, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher)					62ii		
NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB									
63	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE								
	SR.NO	Name of Business			Business code		Description		
		<u>Registration No. of goods carriage</u>	<u>Whether owned/leased/hired</u>	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee</u>	<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage</u> (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher			
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
	(a)								
	(b)								
Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)									
	Total								
	(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 63(i)]					63(ii)		
NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then , it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB									
NO ACCOUNT CASE	64	IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2024-25 in respect of business or profession -							
		(i) For assessee carrying on Business							
		a Gross receipts (a1 + a2)				ia			
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date			a1			
		2	Any other mode			a2			
		b Gross profit				ib			
		c Expenses				ic			
		d Net profit				64i			
		(ii) For assessee carrying on Profession							
		a Gross receipts (a1 + a2)				iaa			
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date			a1			
		2	Any other mode			a2			
		b Gross profit				iib			
		c Expenses				iic			
		d Net profit				64ii			
	(iii) Total profit (64i + 64ii)						64iii		
65	i	Turnover from speculative activity						65i	
	ii	Gross Profit						65ii	
	iii	Expenditure, if any						65iii	
	iv	Net income from speculative activity (65ii-65iii)						65iv	

Part A- OI		Other Information (mandatory if liable for audit under section 44AB; for others, fill if applicable)			
OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash			
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI (3) of Schedule ICDS]	3a		
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(4) of Schedule ICDS]	3b		
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year			
	a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>	
	b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>	
	c	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d		
	e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e		
	5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -			
	a	the items falling within the scope of section 28	5a		
	b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b		
	c	escalation claims accepted during the previous year	5c		
	d	any other item of income	5d		
	e	capital receipt, if any	5e		
	f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)		5f	
	6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of conditions specified in relevant clauses			
	a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a		
	b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b		
c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c			
d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d			
e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e			
f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f			
g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g			
h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h			
i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i			
j	Amount of contributions to any other fund	6j			

		k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k			
		l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l			
		m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viii)]	6m			
		n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(ix)]	6n			
		o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(x)]	6o			
		p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xi)]	6p			
		q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xii)]	6q			
		r	Any other disallowance	6r			
		s	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)			6s	
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under						
		a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a			
		b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b			
		c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or	7c			
		d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d			
		e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e			
		f	Any other penalty or fine	7f			
		g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g			
		h	Amount of any liability of a contingent nature	7h			
		i	Any other amount not allowable under section 37	7i			
		j	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)			7j	
8	A	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40					
		a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa			
		b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab			
		c	Amount disallowable under section 40(a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac			
		d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad			
		e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae			
		f	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	Af			
		g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag			
		h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section [40(b)/40(ba)]	Ah			
		i	Any other disallowance	Ai			
		j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)			8Aj	

	B	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B	
	9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A			
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a		
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b		
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c		
	d	Any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
	e	Any other disallowance	9e		
	f	Total amount disallowable under section 40A (total of 9a to 9e)		9f	
	10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	10da		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
	h	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	10h		
	i	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10h)		10i	
	11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d		

	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11da		
		e Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e		
		f Any sum payable towards leave encashment	11f		
		g Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g		
		h Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	11h		
	i	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11h)			11i
	12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of			
		a Union Excise Duty	12a		
		b Service tax	12b		
		c VAT/sales tax	12c		
		d Central Goods & Service Tax (CGST)	12d		
		e State Goods & Services Tax (SGST)	12e		
		f Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f		
		g Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g		
		h Any other tax	12h		
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)			12i
	13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA			13
	14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41			14
	15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)			15
	16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A			16
	17	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE Tick) <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes [If yes, please fill schedule TPSA]			17

Part A – QD		Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)			
QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern			
	1	Opening stock	1		
	2	Purchase during the previous year	2		
	3	Sales during the previous year	3		
	4	Closing stock	4		
	5	Shortage/ excess, if any	5		
	(b)	In the case of a manufacturing concern			
	6	Raw materials			
		a Opening stock	6a		
		b Purchases during the previous year	6b		
		c Consumption during the previous year	6c		
		d Sales during the previous year	6d		
		e Closing stock	6e		
		f Yield finished products	6f		
		g Percentage of yield	6g		
		h Shortage/ excess, if any	6h		

	7	Finished products/ By-products		
	a	opening stock	7a	
	b	purchase during the previous year	7b	
	c	quantity manufactured during the previous year	7c	
	d	sales during the previous year	7d	
	e	closing stock	7e	
	f	shortage/ excess, if any	7f	

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule S		Details of Income from Salary			
SALARIES	Name of Employer		Nature of employer (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Drop down to be provided		TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)
	Address of employer		Town/City	State	Pin code/Zip code
	1 Gross Salary (1a + 1b + 1c+1d+1e+1f)		1		
	a	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)	1a		
	b	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)	1b		
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)	1c		
	d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A	1d		
	e	Income from retirement benefit account maintained in a country 'other than notified country' u/s 89A	1e		
	f	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year	1f		
	(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)				
	2 Total Gross Salary (from all employers)		2		
	2a Income claimed for relief from taxation u/s 89A		2a		
	3 Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop-down to be provided in e-filing utility) (please refer instructions) (Note-Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)		3		
	4 Net Salary (2 – 2a-3)		4		
	5 Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)		5		
a	Standard deduction u/s 16(ia)	5a			
b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	5b			
c	Professional tax u/s 16(iii)	5c			
6 Income chargeable under the Head 'Salaries' (4 - 5)		6			

Schedule HP		Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)				
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1	Town/ City	State	Country	PIN Code/ Zip Code
	Is the property co-owned? O Yes O No (if "YES" please enter following details)					
	Your percentage of share in the property (%) 					
	Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)		Percentage Share in Property	
	I					
II						

	[Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option] <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Self-occupied <input type="checkbox"/> Deemed let out		Name(s) of Tenant(s) (if let out) I II		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)										PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)														
	a		Gross rent received or receivable or lettable value										1a																
	b		The amount of rent which cannot be										1b																
	c		Tax paid to local authorities										1c																
	d		Total (1b + 1c)										1d																
	e		Annual value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the										1e																
	f		Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)										1f																
	g		30% of 1f										1g																
	h		Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)										1h																
	i		Total (1g+ 1h)										1i																
	j		Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%										1j																
	k		Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)										1k																
			(fill up details separately for each property)																										
	2	Pass through income/Loss if any *										2																	
3	Income under the head “Income from house property” (Σ1k + 2) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)										3																		
NOTE ▶		Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass-through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head																											
NOTE ▶		Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.																											

Schedule BP		Computation of income from business or profession											
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business											
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) and 65(iv) of P&L)										1	
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) [Sl.no.12b of Trading account + Sl.no 65iv of Schedule P&L]										2a	
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)										2b	
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBF or chargeable u/s 115BBG or chargeable u/s 115BBH	a	Salaries								3a	
			b	House property								3b	
			c	Capital gains								3c	
			d	Other sources								3d	
			di	Dividend income								3di	
			dii	other than Dividend income								3dii	
			e	u/s 115BBF								3e	
	f	u/s 115BBG								3f			
	g	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition)								3g	(Item No. A of Schedule VDA)		
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44BBC/44DA (drop down to be provided)										4a	
4b	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided and capture as individual line item)										4b		
5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt												
a	Share of income								5a				
b	Share of income								5b				

			c	Any other exempt income (specify)							
				i		ci					
				ii		cii					
				iii	Total (ci + cii)		5ciii				
			d	Total exempt income (5a + 5b +				5d			
		6	Balance (1– 2a – 2b – 3a - 3b – 3c - 3d – 3e - 3f -3g– 4a-4b– 5d)							6	
		7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF or u/s 115BBG or u/s 115BBH	a		Salaries	7a				
				b		House property	7b				
				c		Capital gains	7c				
				d		Other sources	7d				
				e		u/s 115BBF	7e				
				f		u/s 115BBG	7f				
				g		u/s 115BBH (other than Cost of Acquisition u/s 115BBH)	7g				
		8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income					8a			

	8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)	8b	
	9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f +7g+ 8a+8b)	9	
	10	Adjusted profit or loss (6+9)	10	
	11	Depreciation and amortization debited to profit and loss account	11	
	12	Depreciation allowable under Income-tax Act		
	i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (item 6 of Schedule-DEP)	12i	
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii	
	iii	Total (12i + 12ii)	12iii	
	13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)	13	
	14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6 s of PartA-OI)	14	
	15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7J of PartA-OI)	15	
	16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of PartA-OI)	16	
	17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9F of PartA-OI)	17	
	18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11i of PartA-OI)	18	
	19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006	19	
	20	Deemed income under section 41	20	
	21	Deemed income under section 32AD/ 33AB/ 33ABA/ 35ABA /35ABB/ 40A(3A)/ 72A/80HHD/ 80-IA	21	
	22	Deemed income under section 43CA	22	
	23	Any other item of addition under section 28 to 44DA	23	
	24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which individual/HUF/prop. concern is a partner)	24	
	25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A - OI)	25	
	26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)	26	
	27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)	27	

	28	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)	28		
	29	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year (8B of PartA-OI)	29		
	30	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10i of PartA-OI)	30		
	31	Any other amount allowable as deduction	31		
	32	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	32		
	33	Total (27+28+29+30+31+32)		33	
	34	Income (13+26-33)		34	
	35	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
	i	Section 44AD (61(ii) of schedule P&L)	35i		
	ii	Section 44ADA (62(ii) of schedule P&L)	35ii		
	iii	Section 44AE (63(ii) of schedule P&L)	35iii		
	iv	Section 44B	35iv		
	v	Section 44BB	35v		
	via	Section 44BBA	35via		
	vib	Section 44BBC	35vib		
	vii	Section 44DA	35vii	(item 4 of Form 3CE)	
	viii	Total (35i to 35vii)	35viii		
	36	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34 + 35viii)	36		
	37	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 36) (If loss take the figure to 2i of item E) (37a+ 37b + 37c + 37d + 37e + 37f)	A37		
	a	Income chargeable under Rule 7	37a		
	b	Deemed income chargeable under Rule 7A	37b		
	c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	37c		
	d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	37d		
	e	Deemed income chargeable under Rule 8	37e		
	f	Income other than Rule 7A, 7B & 8 (Item No. 36)	37f		
38	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4b-(37a+37b+37c+37d+37e)]	38			
B Computation of income from speculative business					
	39	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account (Item No. 2a)	39		
	40	Additions in accordance with section 28 to 44DA	40		
	41	Deductions in accordance with section 28 to 44DA	41		
	42	Income from speculative business (39+ 40 – 41) (if loss, take the figure to 6xvi of schedule CFL)	B42		
C Computation of income from specified business under section 35AD					
	43	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account	43		
	44	Additions in accordance with section 28 to 44DA	44		
	45	Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section, (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)	45		
	46	Profit or loss from specified business (43 + 44 -45)	46		
	47	Deductions in accordance with section 35AD(1)	47		
	48	Income from Specified Business (46-47) (if loss, take the figure to 7xvi of schedule CFL)	C48		
49	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)	C49			
D					
D Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A37+B42+C48)				D	

E		Intra head set off of business loss of current year			
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
			(1)		
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A37)	
	ii	Income from speculative business	(B42)		
	iii	Income from specified business	(C48)		
	iv	Total loss set off (ii + iii)			
	v	Loss remaining after set off (i – iv)			
NOTE		Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head			

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)				
DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery			
	2	Rate (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3a	Written down value on the first day of previous year				
	3b	Adjustment as per second proviso to sub-section (3) of section 115BAC (Refer to rule 5)				
	3	Total (3a + 3b)				
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) <i>(enter 0, if result is negative)</i>				
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) <i>(enter 0, if result is negative)</i>				
	10	Depreciation on 6 at full rate				
	11	Depreciation on 9 at half rate				
	12	Additional depreciation, if any, on 4				
	13	Additional depreciation, if any, on 7				
	14	Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days				
	15	Total depreciation (10+11+12+13+14)				
16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act <i>(out of column 15)</i>					
17	Net aggregate depreciation (15-16)					
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. <i>(out of column 17)</i>					

19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				
20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) (enter negative only if block ceases to exist)				
21	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)				

Schedule DOA Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)

1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
		Nil	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	Written down value on the first day of previous year							
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
10	Depreciation on 6 at full rate							
11	Depreciation on 9 at half rate							
12	Total depreciation (10+11)							
13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							
15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP		Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)			
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery			
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c		
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)	1d		
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c+1d)			1e
	2	Building (not including land)			
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a		
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c		
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)			2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)			3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)			4
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)			5
	6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)			6

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets			
DEEMED CAPITAL GAINS	1	Plant and machinery			
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c		
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 20iv)	1d		
	e	Total (1a +1b + 1c+1d)			1e
	2	Building (not including land)			
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a		
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c		
	d	Total (2a + 2b + 2c)			2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)			3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)			4
	5	Ships (Schedule DOA- 17vii)			5
	6	Total (1e+2d+3+4+5)			6

Schedule ESR		Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)		
Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			

iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
X	Total			
NOTE	In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.			

Schedule CG		Capital Gains							
CAPITAL GAINS	Short-term Capital Gains	A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 and 5 are not applicable for residents)							
		1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)							
		Date of purchase/ acquisition DD/MM/YYYY							
		Date of sale/transfer DD/MM/YYYY							
		a	i Full value of consideration received/receivable	ai					
			ii Value of property as per stamp valuation authority	aii					
			iii Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains () [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]	aiii					
		b	Deductions under section 48						
			i Cost of acquisition without indexation	bi					
			ii Cost of Improvement without indexation	bii					
		iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii						
		iv Total (bi + bii + biii)	biv						
		c Balance (aiii – biv)	1c						
		d Deduction under section 54B/54G/54GA (Specify details in item D below)	1d						
		e Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)	A1e						
		f In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State
		NOTE Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
		2 From slump sale							
		a	i Fair market value as per Rule 11UAE(2)	2ai					
		ii Fair market value as per Rule 11UAE(3)	2aii						
		iii Full value of consideration (higher of ai or aii)	2aii						
	b	Net worth of the undertaking or division		2b	(6(e) of Form 3CEA)				
	c	Short term capital gains from slump sale (2aiii-2b)		A2c					
	3 From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII) (where A4 is not applicable)		Where transfer was before 23rd July 2024	Where transfer was on or after 23rd July 2024					
	a	Full value of consideration		3a					
	b	Deductions under section 48							
		i	Cost of acquisition without indexation	bi					
		ii	Cost of Improvement without indexation	bii					
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii					
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv					
	c	Balance (3a – 3biv)		3c					

		d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)	3d					
		e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)	3ei		3eii	A3e		
4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)								
	a STCG on transactions covered u/s 111A (A4ai + A4aii)							A4a	
	i) Where the transfer was before 23rd July 2024							A4ai	
	ii) Where the transfer was on or after 23rd July 2024							A4aii	
	b STCG from sale of shares not covered in sl.no. 4a or sale of debentures							A4b	
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD								
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details						
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia					
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib					
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic					
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	ii					
		iii	Total (ic + ii)	aiii					
	b	Deductions under section 48							
		i	Cost of acquisition without indexation	bi					
		ii	Cost of improvement without indexation	bii					
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii					
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv					
	c	Balance (5aiii – biv)							
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)		5d					
	e	Short-term capital gain on sale of securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)							A5e
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above								
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details						
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia					
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib					
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic					
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii					
		iii	Total (ic + ii)	aiii					
	b	Deductions under section 48							
		i	Cost of acquisition without indexation	bi					
		ii	Cost of Improvement without indexation	bii					
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii					
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv					
	c	Balance (6aiii – biv)							
	d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)		6d					
	e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)							
	f	Deduction under section 54G/54GA							
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e -6f)							A6g
7	Amount deemed to be short term capital gains								

	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? o Yes o No o Not applicable. If yes, then provide the details below																			
		Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed				Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)												
					Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilized out of Capital Gains account															
		i	2021-22	54G/54GA																	
		ii	2022-23	54B/54G/54GA																	
		iii	2023-24	54B/54G/54GA																	
		b Amount deemed to be short term capital gains u/s 54B/54G/54GA, other than at 'a'																			
		Total amount deemed to be short term capital gains (aXi + aXii + aXiii+ b)											A7								
	8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8ai+A8aii + A8b + A8c)										A8									
		ai	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable @ 15%							A8ai											
			Pass Through Income/ Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable @ 20%							A8aii											
		b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable @ 30%							A8b											
			Pass Through Income/Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable at applicable rates							A8c											
	9	Amount of STCG included in A1-A8 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA																			
		Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]										
												(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
												I									
												II									
		a		Total amount of STCG claimed as not chargeable to tax as per DTAA								A 9a									
		b		Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates as per DTAA								A9b									
		Capital Loss on buy back of shares on or after 01 st October 2024. [Short Term Capital loss @20% / 30% / Applicable rate] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered)										A(A)									
		10 Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7+A8 – A9a+A(A))										A10 A10									

Long-term Capital Gains	B Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items, 6, 7, 8 & 9 are not applicable for residents)											
	1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property from a to f)											
	Date of purchase/ acquisition		DD/MM/YYYY		Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY					
	a	i	Full value of consideration received/receivable							ai		
		ii	Value of property as per stamp valuation authority							aii		
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]							aiii		
	b	Deductions under section 48										
		i	Cost of acquisition without indexation								bi	
			Cost of acquisition with indexation (Applicable only for: (A) Transfers before 23 rd July 2024, or (B) Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before and transfer is on or after 23 rd July 2024								biia	
			ii	Total cost of improvement								b
(a) Cost of improvement without indexation								biib(a)				
(b) Year of improvement												

				(c) Cost of Improvement with indexation			
				b & c applicable only for:			
				(A) Transfers before 23 rd July 2024, or	biib(c)		
				(B) Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before and transfer is on or after 23 rd July 2024			
				Add row			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biib		
			iv	Total (where transfer is before 23 rd July 2024 biia + \sum biib(c) + biib; where transfer is on or after 23 rd July 2024 bi + \sum biib(a) + biib)	biv		
			iva	Total (only for the purpose of computing eiB) (biia + \sum biib(c) + biib) (Applicable for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before and transfer is on or after 23 rd July 2024)	biva		
			c	Balance (aiii – biv)	1c		
			ca	Balance (aiii – biva) (Applicable for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before and transfer is on or after 23 rd July 2024) (only for the purpose of computing eiB) (In case of negative, to be considered as nil)	1ci		

				d Deduction under section 54/54B/54D/54EC/54F/54G/54GA (Specify details in item D below)				1d				
				e Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)						B1e		
				ea Long term Capital Gains on Immovable property (1ca – 1d)						B1ea		
				(Applicable for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before and transfer is on or after 23 rd July 2024)								
				(only for the purpose of computing eiB)								
				(In case of negative, to be considered as nil)								
				ei Where acquisition is before 23 rd July 2024 and transfer is on or after 23 rd July 2024 (for residents only)								
				A. Tax as per 112(1)(a)(ii)(B) (1e*12.5%)						B1ei(A)		
				B. Tax for the purposes of second proviso to section 112(1)(a) (1ea*20%)						B1ei(B)		
				(Note: Tax computed at (ei) is for determining 'excess amount to be ignored in e(ii)')								
				eii Excess amount, if any, that is required to be ignored as per second proviso to section 112(1)(a) (for residents only) [B1ei(A)- B1ei(B)]						B1eii		
				f In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
				S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code and state		
				NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents.							
					In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
				g	Total Long-term Capital Gains on Immovable property (ΣB1e) where transfer was							
				(a)	Before 23 rd July 2024 (sum of capital gains on all properties transferred before 23 rd July 2024)							
				(b)	On or after 23 rd July 2024 (sum of capital gains on all properties transferred on or after 23 rd July 2024)							
				(c)	Total excess tax to be ignored (ΣB1eii)							
			2	From slump sale				Where transfer was before 23 rd July 2024 (i)	Where transfer was on or after 23 rd July 2024 (ii)			
			a	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)		2ai					
					Fair market value as per Rule 11UAE(3)		2aai					
					Full value of consideration (higher of ai or aii)		2aii					
			b	Net worth of the undertaking or division			2b	(6(e) of Form 3CEA)		(6(e) of Form 3CEA)		

		c	Balance (2aiii – 2b)	2c			
		d	Deduction u/s 54EC /54F (Specify details in item D below)	2d			
		e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)	B2e	B2ei	B2eii	

		3	From residents from sale of unlisted bonds or unlisted debenture (other than capital indexed bonds issued by Government) (applicable only where transfer was before 23 rd July 2024)					
		a	Full value of consideration		3a			
		b	Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation		bi			
		ii	Cost of improvement without indexation		bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)		biv			
		c	Balance (3a – biv)		3c			
		d	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)		3d			
		e	LTCG on bonds or debenture (3c – 3d)				B3e	

		4(i)	From sale of listed securities (other than a unit) or zero-coupon bonds as per Section 112(1)	Where transfer was before 23 rd July 2024 (i)	Where transfer was on or after 23 rd July 2024 (ii)	
		a	Full value of consideration	4a		
		b	Deductions under section 48			
		i	Cost of acquisition with indexation	bi		
		ia	Cost of acquisition without indexation (where transfer was before 23 rd July 2024, applicable only for the purpose of computing excess tax to be ignored as per proviso to 112(1))	bia		
		ii	Cost of improvement with indexation	bii		
		iaa	Cost of improvement without indexation (where transfer was before 23 rd July 2024, applicable only for the purpose of computing excess tax to be ignored as per proviso to 112(1))	biia		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (where transfer was before 23 rd July 2024, bi + bii + biii) (where transfer was on or after 23 rd July 2024, bia + biia + biii)	biv		
		iva	Total (bia + biia + biii) (for the purpose of computing excess as per proviso section 112(1)) (applicable where transfer was before 23 rd July, 2024)	biva		
		c	Balance (4a – biv)	4c		
		ca	Balance (4a – 4biva) (for the purpose of computing excess tax as per proviso to section 112(1)) (applicable where transfer was before 23 rd July 2024)	4ca		
		d	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)	4d		
		e	Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d) (i) Before 23 rd July 2024, (ii) On or After 23 rd July 2024	B4(i)e B4(i)ei B4(i)eii		
		ea	Long-term Capital Gains on assets at B4 above where transfer was before 23 rd July 2024 (4ca – 4d) (for the purpose of computing excess tax as per proviso to section 112(1))			

	f	Tax as per 112(1)(a)(ii)(A) or 112(1)(c)(ii)(A) [LTCG at 20 % with indexation] [B4(ei)*20%] (applicable where transfer was before 23 rd July, 2024)	B4(i)f		
	g	Tax as per 1 st Proviso to section 112(1) [LTCG at 10 % without indexation] [B4(ea)*10%] (applicable where transfer was before 23 rd July, 2024)	B4(i)g		
	h	Excess amount that is required to be ignored as per 1 st proviso to section 112(1) [B4(f) – B4(g)] (applicable where transfer was before 23 rd July 2024)	B4(i)h		

4(ii)	From sale of GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA (applicable only for resident individuals)		Where transfer was before 23 rd July 2024 (i)	Where transfer was on or after 23 rd July 2024 (ii)	
	a	Full value of consideration	4a		
	b	Deductions under section 48			
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (3a – biv)	4c		
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	4d		
	e	Long-term Capital Gains on assets at B3 above where transfer was (3c – 3d) i. Before 23 rd July 2024 ii. On or After 23 rd July 2024	B4(ii)e B4(ii)ei B4(ii)eii		
5	From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A				
	a	LTCG u/s 112A (column 14(iii) of Schedule 112A)	5a		
		i. Sum of column 14 where transfer was before 23 rd July 2024	5ai		
		ii. Sum of column 14 where transfer was on or after 23 rd July 2024	5aii		
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below) i. Where transfer was before 23 rd July 2024 ii. Where transfer was on or after 23 rd July 2024	5b 5bi 5bii		
	c	i. Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5 above where transfer was (5a – 5b) Before 23 rd July 2024 ii. On or after 23 rd July 2024		B5c B5ci B5cii	

6	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)				
	a	LTCG computed without indexation benefit where transfer was i. Before 23 rd July 2024 – Listed Debentures ii. Before 23 rd July 2024 – other than Listed Debentures iii. On or after 23 rd July 2024 (only unlisted shares or Listed debentures)	6a 6ai 6aai 6aiii		
	b	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below) i. where transfer was before 23 rd July 2024 – Listed Debentures ii. where transfer was before 23 rd July 2024 – other than Listed Debentures iii. where transfer was on or after 23 rd July 2024 – (only unlisted Shares or Listed debentures)	6b 6bi 6bii 6biii		

			c LTCG on share or debenture (6a-6b) i. where transfer was before 23rd July 2024 – Listed Debentures ii. where transfer was before 23rd July 2024 – other than Listed Debentures iii. where transfer was on or after 23rd July 2024 – (only unlisted Shares or Listed debentures)	B6c B6ci B6cii B6ciii			
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

		7	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B8 is to be filled up) Note : For serial number (iii), break up of income based on date of transfer is not required.	Where transfer was before 23rd July 2024 (i)	Where transfer was on or after 23rd July 2024 (ii)		
		a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
			a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
			b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
			c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
			ii Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii			
			iii Total (ic + ii)	aiii			
		b	Deductions under section 48				
			i Cost of acquisition without indexation	bi			
			ii Cost of improvement without indexation	bii			
			iii Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
			iv Total (bi + bii + biii)	biv			
		c	Balance (aiii – biv)	7c			
		d	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)	7d			
		e	(i) Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (7c – 7d)Where transfer was before 23rd July 2024 [applicable for 7(i) & 7(ii)] (ii) Where transfer was on or after 23rd July [applicable for 7(i) & 7(ii)] From sale of securities by FII as referred to in sec. 115AD	B7e B7ei B7eii B7eiii			
		8	For FII/FPI(NON-RESIDENTS) - From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A read with section 115AD				
		a	LTCG u/s 112A [Column 14(iii) of 115AD(1)(b)(iii) proviso] (8ai+8aii)	8a			
			i. Sum of column 14 where transfer was before 23rd July 2024	8ai			
			ii. Sum of column 14 where transfer was on or after 23rd July 2024	8aii			
		b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	8b 8bi 8bii			
			i. Before 23rd July 2024				
			ii. On or after 23rd July 2024				

		c Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 above where transfer was (8a – 8b)								
		i. Before 23 rd July 2024 [applicable for 8(i) and 8(ii)]				B8c				
		ii. On or after 23 rd July 2024 for 8(i) and 8(ii)				B8ci				
						B8cii				
9		From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)								
		a LTCG on sale of foreign exchange asset (as per section 115F where transfer was (computed without indexation)		9a						
		i. Before 23 rd July 2024		9ai						
		ii. On or after 23 rd July 2024		9aii						
		b Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)		9b						
		i. Before 23 rd July 2024		9bi						
		ii. On or after 23 rd July 2024		9bii						
		c Balance LTCG on sale of foreign exchange asset where transfer was (9a- 9b)						B9c		
		i. Before 23 rd July 2024		B9ci						
		ii. On or after 23 rd July 2024		B9cii						
10		From sale of assets where B1 to B9 above are not applicable			Where transfer was before 23 rd July 2024(i)	Where transfer was on or after 23 rd July 2024(ii)				
	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details								
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia						
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib						
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic						
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii						
		iii	i. Total (ic + ii)	aiii						
	b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition with indexation for transfer before 23 rd July 2024 and without indexation for transfer on or after 23 rd July 2024	bi						
		ii	Cost of improvement with indexation for transfer before 23 rd July 2024 and without indexation for transfer on or after 23 rd July 2024	bii						
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii						
		iv	Total (bi + bii+biii)	biv						
	c	Balance (10aiii – biv)			10c					
	d	Deduction under section 54D//54F/54G/54GA (Specify details in item D below)			10d					
	e	Long-term Capital Gains on assets at B10 above (10c-10d)			B10e	B10ei	B10eii			
11	Amount deemed to be long-term capital gains									

	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? o Yes o No o Not applicable. If yes, then provide the details below								
		Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)			Whether date of limitation / withdrawal was before 23 rd July 2024
					Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilized out of Capital Gains account				
		i	2021 -22	54/54D/54F/54G/54GA						
		ii	2022-23	54/54B/54D/54F/54G/54GA/ 54GB						
		iii	2023-24	54/54B/54D/54F/54G/ 54GA						
	b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a' (i + ii) b.								
	i.	i. Where deemed capital gain arose before 23 rd July 2024				bi.				
		ii. Where deemed capital gain arose on or after 23 rd July 2024				bii.				
	i.	Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + aXiii + b)				B11 B11i B11ii				
		i. Where deemed capital gain arose before 23 rd July 2024								
		ii. Where deemed capital gain arose on or after 23 rd July 2024								
12		Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B12a1(i)+B12a1(ii)+B12a2(i)+b12a2(ii) + B12b)				B12				
	a1(i)	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10%				B12a1(i)				
	a1(ii)	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% u/s 112A				B12a1(ii)				
	a2(i)	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 10% - under sections other than u/s. 112A				B12a2(i)				
	a2(ii)	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% under sections other than u/s 112A				B12a2(ii)				
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 20%				B12b				

13	Amount of LTCG included in items B1 to B12 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA												
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B12 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	I												
	II												
	a	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax as per DTAA										B13a	
	b	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates as per DTAA										B13b	
B(A)	Capital Loss on buy back of shares on or after 01 st October 2024 (Long Term Capital loss @12.5% / 10% for transactions covered u/s 115AD for Non-residents) (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered)											B(A)	
14	Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1e + B2e + B3e + B4ie + B4iie + B5f + B6c + B7e + B8f + B9c + B10e + B11 + B12 – B13a+B(A))											B14	
	C1	Sum of Capital Gain Incomes (11ii + 11iii + 11iv + 11v + 11vi + 11vii + 11viii + 11ix + 11x of table E below)										C1	
	C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA)										C2	
	C3	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)										C3	
	D	Information about deduction claimed against Capital Gains											
	1	In case of deduction u/s 54/54B/54D/54EC /54F/54G/54GA/115F give following details											
	a	Deduction claimed u/s 54											
	i	Date of transfer of original asset							ai	dd/mm/yyyy			
	ii	Cost of new residential house							aii				

			iii	Date of purchase /construction of new residential house		aiii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		aiv			
				(iva) Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
				dd/mm/yyyy					
			v	Amount of deduction claimed		av			
		b		Deduction claimed u/s 54B					
			i	Date of transfer of original asset		bi	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost of new agricultural land		bii			
			iii	Date of purchase of new agricultural land		biii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		biv			
				(iva) Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
				dd/mm/yyyy					
			v	Amount of deduction claimed		bv			
		c		Deduction claimed u/s 54D					
			i	Date of acquisition of original asset		ci	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking		cii			
			iii	Date of purchase of new land or building		ciii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		civ			
				(iva) Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
				dd/mm/yyyy					
			v	Amount of deduction claimed		cv			
		d		Deduction claimed u/s 54EC					
			i	Date of transfer of original asset		di	dd/mm/yyyy		
			ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)		dii			
			iii	Date of investment		diii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount of deduction claimed		div			
		e		Deduction claimed u/s 54F					
			i	Date of transfer of original asset		ei	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost of new residential house		eii			
			iii	Date of purchase/construction of new residential house		eiii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		eiv			
				(iva)Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
				dd/mm/yyyy					
			v	Amount of deduction claimed		ev			
		f		Deduction claimed u/s 54G					
			i	Date of transfer of original asset from urban area		fi	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset		fii			
			iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area		fiii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		fiv			
				(iva)Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
				dd/mm/yyyy					
			v	Amount of deduction claimed		fv			
		g		Deduction claimed u/s 54GA					
			i	Date of transfer of original asset from urban area		gi	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset		gii			
			iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ		giii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date		giv			
				(iva)Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
				dd/mm/yyyy					
			v	Amount of deduction claimed		gv			
		h		Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)					
			i	Date of transfer of original foreign exchange asset		hi	dd/mm/yyyy		
			ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate		hii			
			iii	Date of investment		hiii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount of deduction claimed		hiv			
		i		Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1g + 1h)		1i			

[illegible]

		+ B8cii* + B9cii* + B10eii* + B11ii* + B12a1(ii) *+ B12a2(ii) *+ B(A))										
	20%	(B1g(a)* + B2ei*+ B3e*+B4(i)ei*+ B6ci*+ B10ei*+ B11i* + B12b*)										
	DTAA rates	B13b										
Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)												
Loss remaining after set off (i- xi)												
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.												
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B12) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.												

F	Information about accrual/receipt of capital gain						
	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6	16/6 to 15/9	16/9 to 15/12	16/12 to 15/3	16/3 to 31/3	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 5via of schedule BFLA, if any.						
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5vib of schedule BFLA, if any.						
3	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.						
4	Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.						
5	Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.						
6	Long- term capital gains taxable at the rate of 10% Enter value from item 5xa of schedule BFLA, if any.						
7	Long- term capital gains taxable at the rate of 12.5% Enter value from item 5xb of schedule BFLA, if any.						
8	Long- term capital gains taxable						

For NON-RESIDENTS – From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A rws 115AD(1)(b)(iii) proviso															
Sl. No.	Share/Unit Acquired (On or before/after 31 st Jan 2018)	Share/Unit transferred (Before/ on or after 23 rd July 2024)	ISIN Code	Name of the Share/Unit	No. of Shares/Units	Sale-price per Share/Unit	Full value of consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) - If shares are Acquired after 31 st January 2018 – Please enter Full Value of Consideration	Cost of acquisition without indexation (higher of 8 or 9)	Cost of acquisition	If the long-term capital asset was acquired before 01.02.2018, -Lower of 6 and 11	Fair Market Value per share/unit as on 31 st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac) - (4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) – Item 8 (a) of LTCG Schedule of ITR3
(Col 1)	(Col 1a)	(col 1b)	(Col 2)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)
1															
2															
3															
4															
Add rows															
(i)	Total of Col 14 where transfer was before 23 rd July 2024														
(ii)	Total of Col 14 where transfer was on or after 23 rd July 2024														
(iii)	Total of LTCG u/s 112A rws 115AD(1)(b)(iii) proviso (i + ii)														

Schedule VDA						
Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)						
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)						
(Item No. A3g of Schedule BP)						
B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						
(Item No. C2 of Schedule CG)						

Schedule OS		Income from other sources				
OTHER SOURCES	1 Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)					1
	a Dividends, Gross (ai+aii+aiii)					1a
	i Dividend income other than ii and iii		ai			
	ii Dividend income u/s 2(22)(e)		aii			
	iii Dividend income u/s 2(22)(f)		aiii			
	b Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv + bvi + bvii + bviii + bix)					1b
	i From Savings Bank		bi			
	ii From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society/)		bii			
	iii From Income-tax Refund		biii			
	iv In the nature of Pass-through income/Loss		biv			
	v Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(11)		bv			
	vi Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per Second proviso to section 10(11)		bvi			
	vii Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(12)		bvii			
	viii Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(12)		bviii			
	ix Others		bix			
	c Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross					1c
	d Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)					1d
	i Aggregate value of sum of money received without consideration		di			
	ii In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property		dii			
	iii In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration		dihi			
	iv In case any other property is received without consideration, fair market value of property		div			
	v In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration		dv			
	e Any other income (please specify nature)					1e
	Sl. No.	Nature			Amount	
1	Family Pension					
2	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A					
3	Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A					
4	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year					
5	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year referred to in section 56(2)(xii)					
6	Any sum is received, including the amount allocated by way of bonus, at any time during a previous year, under a life insurance policy referred to in section 56(2)(xiii)					
Rows can be added as required						
2 Income chargeable at special rates (2ai+2aii+ 2b+ 2c+ 2d + 2e + 2f related to Sl. No. 1)					2	
ai Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB		2ai				

		aai	Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ		2aii		
		b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)		2b		
		i	Cash credits u/s 68	bi			
		ii	Unexplained investments u/s 69	bii			
		iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii			
		iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv			
		v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv			
		vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi			
		c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111		2c		
			S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
		d	Any other income chargeable at special rate (total of di to dxx)		2d		
		i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)	di			
		ia	Dividend received by non-resident (not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A)	dia			
		ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	dii			
		iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	diia			
		iv	Interest referred to in section 194LC (1)-chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@5%	div			
		v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	dv			
		vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	dvi			
		vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	dvii			
		viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)	dviii			
		ix	Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dix			
		x	Income by way of dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dx			
		xi	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA	dxi			
		xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxii			
		xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD – chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	dxiii			
		xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	dxiv			

			xv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	dxv									
			xvi	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1)-chargeable u/s 115A(1)(a)(iaa)@4%	dxvi									
			xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	dxvii									
			xviii	Income by way of transfer of carbon credits-chargeable u/s 115BBG	dxviii									
			xix	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxix									
			xx	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E	dx									
			e	Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (drop down to be provided)							2e			
			f	Amount included in 1 and 2 above, which is claimed as chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)							2f			
				SL No.	Amount of income	Item No.1ai, 1aiii,1b to 1d & 2 in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
				I										
				II										

3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2d, 2e & 2f)								
	a(i)	Expenses / Deductions other than entered in "C" (in case of other than family pension)				3a(i)			
	a(ii)	Deduction u/s 57(ia) (in case of family pension only)				3a(ii)			
	b	Depreciation (available only if income offered in 1.C of "Schedule OS")				3b			
	C	Interest expenditure on dividend u/s 57(1)(Available only if income offered in 1a(i) and/ or 1a(ii))				3c			
	ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(1) – computed value				3ci			
	d	Total				3d			
4	Amounts not deductible u/s 58							4	
5	Profits chargeable to tax u/s 59							5	
5a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A							5a	
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 (after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5-5a) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)							6	
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)							7	
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses								
	a	Receipts				8a			
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only				8b			
	c	Amounts not deductible u/s 58				8c			
	d	Profits chargeable to tax u/s 59				8d			
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 10xvi of Schedule CFL)					8e		
9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (take 8e as nil, if negative)							9	
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources								
	S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3		
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		

1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)						
2	Income by way of winnings from online games u/s 115BBJ						
3a	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)						
3b	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(iii)						
4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)						
5	Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)						
6	Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PTI Income)						
7	Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)						
8	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
9	Income from retirement benefit account maintained in a country specified u/s 89A but not claimed for relief from taxation u/s 89A						
10	Dividend income chargeable at DTAA Rates						

NOTE ► Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

Schedule CYLA		Details of Income after set-off of current years losses					
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation loss or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from owning race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	Loss to be set off → (Fill this row only if computed figure is negative)		(3 of Schedule -HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	Salaries	(6 of Schedule S)				
	iii	House property	(3 of Schedule HP)				
	iv	Income from Business (excluding speculation profit and income from specified business) or profession	(A37 of Schedule BP)				
	v	Speculative Income	(3ii of item E of Schedule BP)				
	vi	Specified Business Income	(3iii of item E of Schedule BP)				
	vii a	Short-term capital gain taxable @ 15%	(11ii of item E of Schedule CG)				
	vii b	Short-term capital gain taxable @ 20%	(11iii of item E of Schedule CG)				
	viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(11iv of item E of Schedule CG)				
	ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(11v of item E of Schedule CG)				
	x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(11vi of item E of Schedule CG)				
	xia	Long term capital gain taxable @ 10%	(11vii of item E of Schedule CG)				
	xib	Long term capital gain taxable @ 12.5%	(11viii of item E of Schedule CG)				
	xii	Long term capital gain taxable @ 20%	(11ix of item E of Schedule CG)				
	xiii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(11x of item E of Schedule CG)				
	xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)				
	xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)				
	xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2f of Schedule OS)				
	xvii	Total loss set off					
	xviii	Loss remaining after set-off (i – xvii)					

Schedule BFLLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years					
BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3	4	5
	i	Salaries	(5ii of Schedule CYLA)				
	ii	House property	(5iii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
	iii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(5iv of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss) (Note: B/F loss set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB)	(Note: B/F depreciation set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB)		

[illegible]

	xvii	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2ii of Schedule BFLA)		(2iii of Schedule BFLA)	(2iv of Schedule BFLA)	(2v of Schedule BFLA)			(2xiv of Schedule BFLA)
	xviii	2025-26 (Current year losses to be carried forward)		(2xviii of Schedule CYLA)		(3xviii of Schedule CYLA)	(B42 of Schedule BP, if –ve)	(C48 of Schedule BP, if –ve)	(2xii+3xii+4xii+5xii+6xii) of item E of Schedule CG)	((7xii + 8xii+9xii+10xii) of item E of Schedule CG)	(8e of Schedule OS, if –ve)
	xix	Total loss Carried forward to future years									

Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation u/s 115BAC(1A)	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Current Assessment Year							
II								
III								
IV								
V	Total			(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit			
Sl. No.	ICDS	Increase in profit (Rs.)	Decrease in profit (Rs.)	Net effect (Rs.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I	Accounting Policies				
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)				
III	Construction Contracts				
IV	Revenue Recognition				
V	Tangible Fixed Assets				
VI	Changes in Foreign Exchange Rates				
VII	Government Grants				
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)				
IX	Borrowing Costs				
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets				
XI.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)				

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA					
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone						
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction		
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)		
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)		
	c	Total deduction under section 10AA (a + b)					

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G					
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit					
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
		i					
		ii					
		iii Total					
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit					
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
		i					
		ii					
		iii Total					
	C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit					
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
		i					
		ii					
		iii Total					
	D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit					
		Name and address of donee	PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation		Eligible Amount of donation
					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
		i					
		ii					

Schedule 80GGA (applicable in the case of a partner of firm deriving only profit from the firm)		Details of donations for scientific research or rural development					
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (<i>drop down to be provided</i>)	Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
	Total donation						

Schedule 80GGC		Details of contributions made to political parties					
S. No.	Date	Amount of contribution			Eligible amount of contribution	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/ IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution			
i							
	(add rows)						
	Total contribution						

Schedule 80DD		Details of deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability						
Nature of disability	Type of dependent	PAN of the dependent	Aadhaar of the dependent	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Ack No of Form as per Rule 11A(2)(ii) (if available)	UDID Number (If available)	Amount
1. Dependent person with disability 2. Dependent person with severe disability	1. Spouse 2. Son 3. Daughter 4. Father 5. Mother 6. Brother 7. Sister 8. Member of the HUF (in case of HUF)							

Schedule 80U		Details of deduction in case of a person with disability			
Nature of disability	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Ack No of Form as per Rule 11A(2)(ii) (if available)	UDID Number (If available)	Amount
1. Self with disability 2. Self with severe disability					

Schedule RA		Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]					
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					

Schedule 80-IA						
a	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	a1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		a2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
b	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2)				b	

Schedule 80-IB		Deductions under section 80-IB				
a	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
b	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
c	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
d	Deduction in the case of an undertaking engaged in	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		

	integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	d2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
e	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to d2)				e

Schedule 80-IE		Deductions under section 80-IE			
DEDUCTION U/S 80-IE	a	Deduction in respect of undertaking located in North-East			
	aa	Assam	aa1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the
			aa2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the
	ab	Arunachal Pradesh	ab1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the
			ab2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the
	ac	Manipur	ac1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the
			ac2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the
	ad	Mizoram	ad1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the
			ad2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the
	ae	Meghalaya	ae1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the
			ae2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the
	af	Nagaland	af1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the
			af2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the
	ag	Tripura	ag1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the
			ag2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the
	ah	Total deduction for undertakings located in North-east (total of aa1 to ag2)			ah
	b	Total deduction under section 80-IE (ah)			b

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A			
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments			
	a	80C (Details are to be filled in the dropdown to be provided in the e-Filing utility)		b	80CCC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
				d	80CCD(1B) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
	c	80CCD(1) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		f	80D (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
	e	80CCD(2) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		h	80DDB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
	g	80DD		j	80EE (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
	i	80E (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		l	80EEB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
	k	80EEA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		n	80GG (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
	m	80G		o(i)	80GGC
	o	80GGA			
	Total Deduction under Part B (total of a to o(i))				1
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes			
	p	80-IA	(b of Schedule 80-IA)	Q	80-IAB
	r	80-IB	(E of Schedule 80-IB)	s	80-IBA

	t	80-IE	(e of Schedule 80-IE)	U	80JJA		
	v	80JJAA	[Sl.no. 5I(eiv) + 5II of Annexure to Form 10DA]	w	80QQB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	x	80RRB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)					
	Total Deduction under Part C (total of p to x)						2
	3	Part CA and D- Deduction in respect of other incomes/other deduction					
	i	80TTA		ii	80TTB		
	iii	80U		iv	80CCH		
	v	Any other Deduction as per the e-filing utility (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)					
	Total Deduction under Part CA and D (total of i, ii, iii, iv and v)						3
	4	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2 + 3)					4

Schedule AMT Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC						
1	Total Income as per item 14 of PART-B-TI			1		
2	Adjustment as per section 115JC(2)					
a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a				
b	Deduction claimed u/s 10AA	2b				
c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed	2c				
d	Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)	2d				
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)			3		
a	Adjusted Total Income u/s 115JC from units located in IFSC, if any	3a				
b	Adjusted Total Income u/s 115JC from other Units (3-3a)	3b				
4	Tax payable under section 115JC [(9% of (3a)+ 18.5% of (3b)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakh)			4		

Schedule AMTC Computation of tax credit under section 115JD						
1	Tax under section 115JC in assessment year 2025-26 (1d of Part-B-TTI)					1
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2025-26 (2i of Part-B-TTI)					2
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]					3
4	Utilization of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilized during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
		Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)		
i	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					
v	2017-18					
vi	2018-19					

	vii	2019-20				
	viii	2020-21				
	ix	2021-22				
	x	2022-23				
	xi	2023-24				
	xii	2024-25				
	xiii	Current AY (enter 1 - 2, if 1>2 else enter 0)				
	xiv	Total				
5	Amount of tax credit under section 115JD utilized during the year [total of item no 4 (C)]					5
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]					6

Schedule SPI Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64					
SI No	Name of person	PAN/Aadhaar No. of person (optional)	Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1					
2					
3					

Schedule SI						
SPECIAL RATE	SI No	Section	<input checked="" type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income(i)	Tax thereon (ii)
	1	111- Accumulated balance of recognised provident for prior years	<input type="checkbox"/>		(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule OS)
	2a	111A or Section 115AD(1)(b)(ii)-Proviso (STCG on shares units on which where STT paid) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5via of Schedule BFLA)	
	2b	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	20	(part of 5vib of Schedule BFLA)	
	3	115AD(STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
	4a	Proviso to 112(1) (LTCG on listed securities/ units with indexation) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable and tax thereon after taking into account SI. no. B3(i)(h) of Schedule CG, if any]	<input type="checkbox"/>	20 (as reduced by B4(i)(h) of Schedule CG if any)	(part of 5xi of Schedule BFLA)	
	4b	112(1) (LTCG on listed securities/ units) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5xi of Schedule BFLA)	
	5a	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities or other than Listed debentures) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5xi of Schedule BFLA)	
	5b	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5xi of Schedule BFLA)	
	6a	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5xi of Schedule BFLA)	
	6b	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5xi of Schedule BFLA)	
	7a	115AC (Income by way of interest received by non-resident on bonds purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
	7b	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident from GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	

8a	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5xa of Schedule BFLA)	
8b	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5xb of Schedule BFLA)	
9	115AD (LTCG for FIIs on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5xc of Schedule BFLA)	
10a	115E (LTCG for non-resident Indian on foreign exchange asset) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5xd of Schedule BFLA)	
10b	115E (LTCG for non-resident Indian on foreign exchange asset) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5xe of Schedule BFLA)	
11a	112 (LTCG on others) [where transfer / event was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	20	(5xi of Schedule BFLA)	
11b	112 (LTCG on others) [where transfer / event was on or after 23 rd July 2024 as applicable] and tax thereon after taking into account Sl. no. Σ B1eii of Schedule CG, if any.	<input type="checkbox"/>	12.5 (as reduced by B1eii of Schedule CG if any)	(part of 5xf of Schedule BFLA)	
12a	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid) [where transfer was before 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5yg of Schedule BFLA)	
12b	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid) [where transfer was on or after 23 rd July 2024 as applicable]	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5yh of Schedule BFLA)	
13	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5zi of Schedule BFLA)	
14	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5zj of Schedule BFLA)	
15a	115BBB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(2ai of Schedule OS)	
15b	115BBJ (Winning from online games)	<input type="checkbox"/>	30	(2aii of Schedule OS)	
16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)	
17	115BBH (Tax on income from virtual digital asset)				
	A Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	30	(A3g of Schedule BP)	
	B Income under head Capital Gain	<input type="checkbox"/>	30	(C2 of Schedule CG)	
18	115BBF (Tax on income from patent)				
	A Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3e of Schedule BP)	
	B Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2d of Schedule OS)	
19	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)				
	A Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3f of Schedule BP)	
	B Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2d of Schedule OS)	
20	115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	

21	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5xv of Schedule BFLA)
22a	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5via of Schedule BFLA)
22b	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 5vib of Schedule BFLA)
23	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vi of Schedule BFLA)
24a	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s. 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5xa of Schedule BFLA)
24b	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% u/s 112A	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5xb of Schedule BFLA)
25a	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s. other than section 112A	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5xa of Schedule BFLA)
25b	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% under sections other than u/s 112A	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5xb of Schedule BFLA)
26	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 5xa of Schedule BFLA)
27	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)	<input type="checkbox"/>		(2e of Schedule OS)
28	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)	<input type="checkbox"/>		(2d of Schedule OS)
			Total	

Schedule IF		Information regarding partnership firms in which you are partner						
FIRMS IN WHICH PARTNER	Number of firms in which you are partner							
	Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit	Capital balance on 31 st March in the firm
							i	ii
	1							
	2							
	3							
	4	Total						

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)							
EXEMPT INCOME	1	Interest income					1		
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)			i			
		i	Expenditure incurred on agriculture			ii			
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years			iii			
		iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 38 of Sch. BP)			iv			
		v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)					2	
		vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)						
		a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located						
		b	Measurement of agricultural land in Acre						
	c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)							
	d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)							
	3	Other exempt income (including exempt income of minor child) (please specify)					3		

4	Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA								
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)		
	I								
	II								
	III	Total Income from DTAA claimed as not chargeable to tax						4	
5	Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI)							5	
6	Total (1+2+3+4+5)							6	

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115U, 115UA and 115UB								
PASS THROUGH INCOME	Sl.	Investment entity covered by section 115U/115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current Year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(drop down to be provided)			i	House property				
				ii	Capital Gains					
					a	Short term				
					a1	Section 111A				
					b	Long term				
					b1	Section 112A				
					B2	Sections other than 112A				
				iii	Other Sources					
					a	Dividend				
					b	Others				
				iv	Income claimed to be exempt					
					A	u/s 10(23FBB)				
					B	u/s				
					C	u/s				
	2.				i	House property				
					ii	Capital Gains				
					A	Short term				
					a1	Section 111A				
					B	Long term				
					b1	Section 112A				
					b2	Sections other than 112A				
				iii	Other Sources					
					1	Dividend				
					2	Others				
				iv	Income claimed to be exempt					
					a	u/s 10(23FBB)				
					b	u/s				
					c	u/s				
NOTE		Please refer to the instructions for filling out this schedule.								

Schedule-TPSA		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility						
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)						
	a	Additional Income tax payable @ 18% on above						
	b	Surcharge @ 12% on "a"						
	c	Health & Education cess on (a + b)						
	d	Total Additional tax payable (a + b + c)						
	3	Taxes paid						
	4	Net tax payable (2d-3)						
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 3 (DD/MM/YYYY)	Date 4 (DD/MM/YYYY)	Date 5 (DD/MM/YYYY)	Date 6 (DD/MM/YYYY)
	6	Name of Bank and Branch						
7	BSR Code							
8	Serial number of challan							
9	Amount deposited							

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)							
INCOME FROM OUTSIDE INDIA	Sl.	Country Code (dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	1			i	Salary					
				ii	House Property					
				iii	Business or Profession					
				iv	Capital Gains					
				v	Other sources					
					Total					
	2			i	Salary					
				ii	House Property					
				iii	Business or Profession					
				iv	Capital Gains					
				v	Other sources					
					Total					
	NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.									

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
	3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4	Yes/No

NOTE Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India											
DETAILS OF FOREIGN	A1	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December 2024											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)												
	(ii)												
	A2	Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December 2024											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)												
	(ii)												
	A3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31 st December 2024											
	Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(i)												
	(ii)												
	A4	Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December 2024											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
	(i)												
	(ii)												
	B	Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 st December 2024											
	Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
											Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
	(1)	2(a)	2(b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(i)												
(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December 2024												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December 2024												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December 2024 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	ZIP Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
G Details of any other income derived from any source outside India (i) which is not included in- items A to F above or, (ii) income under the head business or profession												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the person from whom derived		Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return				
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule		
(1)	(2a)	(2b)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
(i)												
(ii)												

NOTE Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

Schedule 5A Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code					
Name of the spouse					
PAN/Aadhaar No. of the spouse					
Whether books of account of spouse is audited u/s 44AB or under any other provisions (other than u/s 92E) of this Act or under any other Acts? or Whether your spouse is a partner of a firm whose accounts are required to be audited u/s 44AB under this Act or under any other provisions (other than u/s 92E) of this Act or under any other Acts?					Yes/No
Whether books of account of spouse is audited u/s 92E? or Whether your spouse is a partner of a firm whose accounts are required to be audited u/s 92E under this Act?					Yes/No
	Heads of Income	Receipts received under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	House Property				
2	Business or profession				
3	Capital gains				
4	Other sources				
5	Total				

Schedule AL Assets and Liabilities at the end of the year (other than those included in Part A- BS) (applicable in a case where total income exceeds Rs. 1 crore)						
DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A Details of immovable assets					
	Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(i)					
	(ii)					
	B Details of movable assets					
	Sl. No.	Description			Amount (cost) in Rs.	
	(1)	(2)			(3)	
	(i)	Jewellery, bullion etc.				
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art				
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts				
	(iv)	Financial assets			Amount (cost) in Rs.	
		(a)	Bank (including all deposits)			
		(b)	Shares and securities			
		(c)	Insurance policies			
		(d)	Loans and advances given			
		(e)	Cash in hand			
	C Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof					
	Sl. No.	Name and address of the firm(s)/ AOP(s)	PAN of the firm/ AOP		Assessee's investment in the firm/ AOP on cost basis	
	(1)	(2)	(3)		(4)	
	(i)					
	(ii)					
	D Liabilities in relation to Assets at (A + B + C)					
	NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.					

Schedule GST		INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST	
DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)
NOTE ► Please furnish the information above for each GSTIN No. separately			

Schedule : Tax deferred ESOP		Information related to Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC						
DETAILS	Sl. No.	Assessment Year	Amount of Tax deferred brought forward	Has any of the following events occurred during the previous year relevant to current assessment year			Amount of tax payable in the current Assessment Year (to be populated from col. 3 or 4 as the case maybe)	Balance amount of tax deferred to be carried forward to be next Assessment years Col (3- 7)
				Such specified security or sweat equity shares were sold (i)Fully (ii)Partly (iii)Not sold Specify the date and amount of tax attributed to such sale out of Col 3 (Details to be provided as per utility)	Ceased to be the employee of the employer who allotted or transferred such specified security or sweat equity share? o Yes o No If yes, specify date	Forty-eight months have expired from the end of the relevant assessment year in which specified security or sweat equity shares referred to in the said *clause were allotted. If yes, specify date		
				4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2021-22	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year						
2	2022-23	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year			(To be enabled from AY 2026-27) (Payment to be made in FY 2025-26)			
3	2023-24	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year						
4	2024-25	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year						
5	2025-26							

PART-B

Part B – TI		Computation of total income	
TOTAL INCOME	1	Salaries (6 of Schedule S)	1
	2	Income from house property (3 of Schedule-HP) (enter nil if loss)	2
	3	Profits and gains from business or profession	
	i	Profit and gains from business other than speculative business and specified business (A37 of Schedule BP) (enter nil if loss)	3i
	ii	Profit and gains from speculative business (3(ii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3ii
	iii	Profit and gains from specified business (3(iii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3iii
	iv	Income chargeable to tax at special rates (3e, 3f & 3g of Schedule BP)	3iv
	v	Total (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (enter nil if 3v is a loss)	3v
	4	Capital gains	
	a	Short term	
	ia	Short-term chargeable @ 15% (11ii of item E of schedule CG)	aia
	ib	Short-term chargeable @ 20% (11iii of item E of schedule CG)	aib
	ii	Short-term chargeable @ 30% (11iv of item E of schedule CG)	aiv
	iii	Short-term chargeable at applicable rate (11v of item E of schedule CG)	aiii
	iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (11vi of item E of Schedule CG)	aiv
	v	Total Short-term (aia+aib + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	4av
	b	Long-term	
	ia	Long-term chargeable @ 10% (11vii of item E of schedule CG)	bia
	ib	Long-term chargeable @ 12.5% (11viii of item E of schedule CG)	bib
	ii	Long-term chargeable @ 20% (11ix of item E of schedule CG)	bii
	iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (11x of item E of schedule CG)	biii
	iv	Total Long-term (bia +bib + bii+biii) (enter nil if loss)	4biv
	c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (4av+4biv) (enter nil if loss)	4c
	d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	4d
e	Total capital gains (4c + 4d)	4e	
5	Income from other sources		
a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	5a	
b	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	5b	
c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	5c	
d	Total (5a + 5b + 5c) (enter nil if loss)	5d	
6	Total of head wise income (1 + 2 + 3v +4e +5d)	6	
7	Losses of current year to be set off against 6 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA)	7	
8	Balance after set off current year losses (6 – 7) (total of serial number (ii) to (xvi) column 5 of Schedule CYLA+5b+3iv)	8	

9	Brought forward losses to be set off against 8 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA)	9	
10	Gross Total income (8-9) (also total of serial no (i) to (xiv) of column 5 of Schedule BFLA+ 5b+ 3iv)	10	
11	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 10	11	
12	Deductions under Chapter VI-A		
a	Part-B, CA and D of Chapter VI-A [(1 + 3) of Schedule VI-A and limited upto (total of i, ii, iii, iv, v, viii, xiii, xiv) of column 5 of BFLA]	12a	
b	Part-C of Chapter VI-A [(2 of Schedule VI-A)]	12b	
c	Total (12a + 12b) [limited upto (10-11)]	12c	
13	Deduction u/s 10AA (c of Sch. 10AA)	13	
14	Total income (10 - 12c - 13)	14	
15	Income which is included in 14 and chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)	15	
16	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (2v of Schedule EI)	16	
17	Aggregate income (14-15+16)[applicable if (14-15) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	17	
18	Losses of current year to be carried forward (total of row xviii of Schedule CFL)	18	
19	Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	19	

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income								
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)				1a			
		b	Surcharge on (a) <i>(if applicable)</i>					1b		
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above					1c		
		d	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)					1d		
	2	Tax payable on total income								
		a	Tax at normal rates on 17 of Part B-TI		2a					
		b	Tax at special rates <i>(total /of col. (ii) of Schedule-SI)</i>		2b					
		c	Rebate on agricultural income <i>[applicable if (14-15) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to</i>		2c					
		d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b – 2c)					2d		
		e	Rebate under section 87A					2e		
		f	Tax payable after rebate (2d – 2e)					2f		
		g	Surcharge		Surcharge computed before	Surcharge after marginal relief				
			i	@ 25% of 17(ii) of Schedule SI	2gi		ia			
			ii	@10% or 15%, as applicable (Refer Instructions)	2gii		iaa			
			iii	On [(2f) – 17(ii) of Schedule SI- tax on income referred in 2G(ii)above)]]	2giii					
			iv	Total (ia + iia)				2giv		
		H	Health and Education Cess @ 4% on (2F + 2Giii)					2H		
		I	Gross tax liability (2F+ 2Giv + 2H)					2I		
		3	Gross tax payable (higher of 1d and 2I)						3	
		3a	Tax on income without including income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC (3-3b)						3a	
		3b	Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC						3b	
		3c	Tax deferred from earlier years but payable during current AY (total of col 7 of schedule Tax deferred on ESOP)						3c	
		4	Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2I is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)						4	
		5	Tax payable after credit under section 115JD (3a +3c - 4)						5	
		6	Tax relief							

	a	Section 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)			6a			
	b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)			6b			
	c	Section 91 (3 of Schedule TR)			6c			
	d	Total (6a + 6b+ 6c)			6d			
	7	Net tax liability (5 – 6d) (enter zero if negative)					7	
	8	Interest and fee payable						
	a	Interest for default in furnishing the return (section			8a			
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)			8b			
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)			8c			
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)			8d			
e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)			8e				
9	Aggregate liability (7 + 8e)					9		
TAXES PAID	10	Taxes Paid						
	a	Advance Tax (from column 5 of 17A)			10a			
	b	TDS (total of column 5 of 18B and column 9 of			10b			
	c	TCS (column 7(i) of 17D)			10c			
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 17A)			10d			
	e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)			10e			
11	Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)					11		
12	Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)					12		
BANK ACCOUNT	13	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)					Select Yes or No	
	i.	a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)						
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)	Select Account for refund credit (tick at least one account ✓)	
		I						
		II						
	Note: 1. All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c. 2. In case, multiple accounts are selected, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return.							
	Rows can be added as required							
	ii.	b) Non- residents, not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:						
		Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location		IBAN	
		1						
	14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]					O Yes O No	

15 If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:																													
Identification No. of TRP														Name of TRP										Counter Signature of TRP					
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof																										16			
17 TAX PAYMENTS																													
A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																													
ADVANCE/ SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code								Date of Deposit (DD/MM/YYYY)								Serial Number of Challan						Amount (Rs)					
	(1)	(2)								(3)								(4)						(5)					
	i																												
	ii																												
	iii																												
	iv																												
	NOTE ▶		Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl. No. 10a & 10d of Part B-TTI																										
B Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]																													
TDS ON SALARY	Sl No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer								Name of the Employer						Income chargeable under Salaries						Total tax deducted							
	(1)	(2)								(3)						(4)						(5)							
	I																												
	II																												
NOTE ▶		Please enter total of column 5 in 10b of Part B-TTI																											

[illegible]

D Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]											
TCS	Sl. No.	TCS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/ other person as per rule 37i(1)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. Year		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being carried forward
					Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37i(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37i(1) (if applicable)	
	(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)
										TCS	PAN
	i										
NOTE ► Please enter total of column (7)(i) in 10c of Part B-TTI											

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making returns in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction). I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Date

Place

Sign here ➡.

[F.No. 370142/14/2025-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 271(E), dated the 29th April, 2025.

Explanatory Memorandum: - It is hereby certified that no person shall be adversely affected by giving retrospective effect to these rules.